लोक/राज्य सभा के पटल पर रखे जाने के लिए
To be laid on the table of Lok/Rajya Sabha
अधिप्रमाणित/AUTHENTICATED

दिनांक
Date

अर्जुन राम मेघवाल
Arjun Ram Meghwal
राज्य मंत्री/MOS
भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय
Ministry of Heavy Industries of Public Enterprises

वर्ष 2019-20 के लिए मैसर्स हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, ऊटकमंड की वार्षिक रिपोर्ट पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394(1)(ख) के तहत माननीय भारी उद्योग एवं लोक उद्यम राज्य मंत्री द्वारा दिया जाने वाला वक्तव्य

******

सरकार ने वर्ष 2019-20 के लिए हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड (एचपीएफ) की वार्षिक रिपोर्ट और लेखाओं की जांच कर ली है तथा प्रबंधन के उत्तरों के साथ-साथ सीएजी के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट/टिप्पणियों की भी समीक्षा की है तथा रिपोर्ट और प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत उत्तरों से सहमत है। अत: कोई समीक्षा नहीं रखी जा रही है।

******

अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक एव ंनिदेशक (वित्त)	श्री एस गिरिष कुमार
निदेशकगण	श्री सुनिल कुमार सिंह 01.06.2020 तक श्री मदन पाल सिंह 02.06.2020 से श्री पुरुषोत्तम म बन्देकर डॉ अशोक त्रिपाठी 07.02.2020 तक डॉ टि विजया लक्ष्मी 30.01.2020 से
लेखा परीक्षकगण	मेसर्स नरेश एण्ड को सनदी लेखाकार, चेनै
बैंकर्स	स्टेट बैंक आफ इण्डिया इण्डियन ओवरसीज बैंक सिंडिकेट बैंक स्टेट बैंक आफ पटियाला स्टेट बैंक आफ ट्रावनकुर इण्डियन बैंक कैनरा बैंक
पंजीकृत कार्यालय	इन्दु नगर उटकमण्ड तमिलनाडु -643 005

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यु कं लि.,

शेयरधारियों को नोटिस

टेलिफोन : 0423 -2443149 - 2444301
फैक्स : 0423- 2443484

पंजीकृत कार्यालय
इन्दु नगर
उटकमण्ड - 643 005

21.10.2020

नोटिस

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफेक्चरिग कंपनी लिमिटेड,उटकमण्ड के शेयरधारियों की उनसठवी सामान्य वार्षिक बैठक,वीडियो कॉन्फ्रेंसिगं के माध्यम से 10 नवंबर 2020 को 14.30 बजे निम्नलिखित कारोबार के संचालन के लिए होगी ।

सामान्य कारोबार

1) 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशकों की रिपोर्ट और कंपनी के लेखा पर विचार विमर्श करना तथा उनका अंगीकार करना ।

2) 2020-21 साल के लिए लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक का निर्धारण करना ।

(आदेशानुसार)

(वि. विनयन)
महाप्रबंधक तकनीकी और इकाई प्रमुख प्रभारी

सेवा में : **सभी सदस्य**
मेसर्स नरेश एण्ड को
सनदी लेखाकार,
27 सी मारीअमन कोइल स्ट्रीट
विल्लुपुरम, चेनै 605602

नोट : बैठक में भाग लेने और मत देने के लिए योग्य शेयरधारी अपने स्थान पर किसी और व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है और उस प्रॉक्सी का सदस्य होना जरूरी नही है ।

निदेशकों की रिपोट

प्रिय शेयरधारियों,

आपके निदेशकगण उनसठवी वार्षिक रिपोर्ट मे 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा सहित कंपनी के कार्यशील पर सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और उस पर भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणियों को सहर्ष प्रस्तुत कर रहे हैं ।

शेयर पूंजी

31.03.2020 के अनुसार प्रदत्त एवं प्राधिकृत पूंजी 206.87 करोड रुपये और 210 करोड रुपये हैं ।

आवधिक जमा

रिपोर्ट के अधीन इस वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई जमा प्राप्त नही किया ।

निगमित निष्पादन

पिछले दस वर्षों के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय आंकडे नीचे संक्षेप में दिए गए हैं ।

पिछले दस वर्षों के लिए वित्तीय आंकडे

31 मार्च को समाप्त वर्ष (रु लाखों में)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
उत्पादन	3992.46	760.94	360.60	15.09	---	---	---	--	--	**--**
विक्रय	3718.32	1256.38	373.81	124.86	---	---	---	--	--	**--**
निवल लाभ -हानि	-115665.42	-135238.95	-156531.99	-182042.26	-216276.71	-252791.86	-291715.72	-340236.48	-193.88	**-235.07**
वृद्धि दर (%)										
- कुल बिक्रि	41.64	-66.21	-70.25	-66.60	---	---	---	--	--	**--**
- उत्पादन	56.55	-80.94	-52.61	-95.82	---	---	---	--	--	**--**
निवल लाभ (%)										
- कुल बिक्रि	-3110.69	-10764.18	-41874.75	-145797.10	---	---	---	--	--	**--**
निवल मूल्य	-798406.40	-933645.35	-1090177.34	-1272219.61	-1488496.32	-1761974.66	-2053690.37	-2393926.86	-2394120.73	**-2394355.81**
अंतर निगमित ऋण	3607.00	3607.00	3607.00	3607.00	3607.00	3607	3607	3607	3607	**3607**
सकल ब्लाक (डबल्यू आई पी पूंजी वर्जित)	71566.75	71585.22	71596.58	71577.15	71577.15	71577.15	71577.59	71577.59	71577.59	**71577.59**
सकल ब्लाक (डबल्यू आई पी पूंजी सहित)	71566.75	71585.22	71596.58	71577.15	71577.15	71577.15	71577.59	71577.59	71577.59	**71577.59**
मालसूचियॉं	1541.50	942.24	891.17	763.05	748.40	740.67	757.59	745.44	752.19	**748.67**
मूल्यह्रास	3166.17	3146.92	3147.82	3141.13	3141.13	3141.38	3140.91	88.59	--	**--**
ब्याज	111525.07	130242.70	151703.19	177238.16	207584.49	244192.14	286505.98	336127.91	--	**--**

टिप्पणी : जहॉं भी आवश्यक हो, पिछले साल के ऑकडों को पुनःवर्गीकृत किया गया है ।

कार्मिक

एक और सी पी एस ई से प्रतिनियुक्ति एक ही अधिकारी हैं ।

बीमा

कंपनी की परिसंपत्तियॉं बीमाकृत की है ।

आर टी आई अधिनियम

2019-20 साल के दौरान आर टी आई के अधीनप्राप्त सभी आवेदन और प्रथम प्राधिकरणों का जवाब दिया गया ।

निदेशकगण

श्री गिरिष कुमार,अध्यक्ष सहप्रबन्ध निदेशक एच एम टी, बैंगलोरे, एच पी एफ के निदेशक (वित्त), और अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार जारी भी है।

लेखा परीक्षा समिति

31.3.2020 के अनुसार लेखा परीक्षा समिति के सदस्य निम्नलिखित हैं ।

डॉ टि विजया लक्ष्मी	: स्वाधीन निदेशक	: अध्यक्ष
श्री सुनिल कुमार सिंह	: निदेशक	: सदस्य
श्री पुरुषोत्तम म बन्देकर	: नामिति निदेशक	: सदस्य

निदेशकगणों की जिम्मेदारी विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (सी) के तहत निदेशकों की जिम्मेदारी बयान

वित्तीय बयान ऐतिहासिक लागत कन्वेंशन के तहत आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों (जी ए ए पी) के अनुसार तैयार कर रहे हैं, कुछ वित्तीय साधनों के अलावा उपचय के आधार पर उचित मूल्यों पर मापा जाता है जी ए ए पी, के रूप में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 133 के तहत निर्धारित अनिवार्य लेखा मानकों शामिल कंपनियों (लेखा) के नियम 7 नियम, 2014 के साथ पढ़ा, अधिनियम के प्रावधानों (हद तक अधिसूचित) और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों का। इन मानकों को अपनाने में निर्धारित लेखा मानकों से कोई सामग्री प्रस्थान कर रहे हैं।

निदेशक पुष्टि करते हैं कि :

- वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वार्षिक खातों की तैयारी में, लागू लेखा मानकों का पालन किया गया है।
- निदेशक ऐसे लेखांकन नीतियों का चयन किया और उन्हें लगातार आवेदन किया है जो उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान बनाया ता कि कंपनी के राज्य के मामलों में वित्तीय वर्ष के अंत में एक सच्चे और निष्पक्ष विचार दे और कंपनी के उस अवधि के लाभ और नुकसान।
- इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और रोकने और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने के लिए निदेशक पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखाव की ओर उचित और पर्याप्त ख्याल रखा है। निर्देशकों वार्षिक लेखा चिंता के विषय के आधार पर तैयार किया है।
    - निदेशक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखी हैजो पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं।
    - सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निदेशक उचित प्रणाली तैयार कर लिया है और इस तरह की व्यवस्था पर्याप्त और प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं।

लेखापरीक्षकगण

मेसर्स नरेश एण्ड को सनदी लेखाकार, चेनै ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी के लेखा परीक्षकों के रूप में भारत सरकार द्वारा नियुक्त किये गये हैं ।

निगमित शासन

स्टॉक विनिमय के लिस्टिंग करार खंड 49 की अपेक्षाओं के अनुपालन में प्रबन्ध मण्डल के विचार-विमर्श व विश्लेषण रिपोर्ट, निगमित शासन पर रिपोर्ट,निगमित शासन पर लेखा परीक्षकों का प्रमाण पत्ररिपोर्ट अनुबंधित किये जाते है ।

कंपनी की स्थिति

बी आई एफ आर द्वारा अनुशंसित और मद्रास के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत समापन कार्यवाही, अब मेसर्स कैनरा बैंक द्वारा दायर कंपनी आवेदन 429/2019 में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 18/05/2020 के अनुसार एन सी एल टी को स्थानांतरित कर दिया गया है।

कंपनी को 23.01.1996 को बीमार घोषित किया गया था, और 30.01.2003 को बी आई एफ आर द्वारा समापन होने की सिफारिश की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय, मद्रास द्वारा कंपनी याचिका सी पी नंबर 114/2003 के रूप में फाइलों पर ली गई और इस सिफारिश को दिनांक 29.08.2016 के आदेशानुसार स्वीकार कर लिया गया। इसके अलावा, मद्रास के माननीय उच्च न्यायालय ने 08.09.2017 के आदेशानुसार आधिकारिक परिसमापक को परिसंपत्तियों का प्रभार लेने और कंपनी के रिकॉर्ड की पुस्तकों की जांच करने और प्राथमिकता के अनुसार आवश्यक संवितरण करने की सलाह दी थी। हालांकि, आधिकारिक परिसमापक ने कार्यभार नहीं संभाला । सभी उत्पादन-संयंत्र पहले ही बंद हो चुके थे और जून 2013 से कोई उत्पादन गतिविधियाँ नहीं हुई हैं ।कंपनी के सभी कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की पेशकश करने और कंपनी को बंद करने के लिए आगे की कार्रवाई करने के भारत सरकार के निर्णय के अनुसार, कंपनी के सभी कर्मचारियों को विभिन्न चरणों में वीआरएस योजना के तहत 30.06.2016 या उससे पहले वी आर एस पर राहत दी गई है।कंपनी अब आधिकारिक परिसमापक को सौंपने के लिए तैयार है।

आज की तारीख में कंपनी के रोल पर कोई कर्मचारी नहीं है। एक और सी पी एस ई से प्रतिनियुक्ति केवल एक ही अधिकारी हैं जो आधिकारिक परिसमापक कंपनी के कार्यभार संभालने तक ,कंपनी के संपत्ति के संरक्षण और रखरखाव की देखरेख कर रहा है। आधिकारिक परिसमापक द्वारा संपत्ति और देनदारियों और कंपनी के रिकॉर्ड की किताबें का अधिग्रहण प्रतीक्षित था ।

<u>नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल(एन सी एल टी) को समापन कार्यवाही का स्थानांतरण:</u>

इस बीच, सुरक्षित लेनदारों की ओर से, एचपीएफ द्वारा जारी डिबेंचर के ट्रस्टी के रूप में मैसर्स केनरा बैंकने मद्रास के माननीय उच्च न्यायालय में एक कंपनी आवेदन सी.ए. नंबर 429/2019 , 15/11/2019 को यह प्रार्थना के साथ दायर किया था –"उपस्थित कंपनी याचिका सी.ए. नंबर 114/2003 को तीव्र और शीघ्र निपटारा करने के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल(एन सी एल टी) चेन्नई बेंच को स्थानांतरित करने के लिए" । 18.05.2020 को, माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया, जिसमें कंपनी की याचिका सी.पी.114 / 2003 को एन सी एल टी को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया गया। कंपनी याचिका सी पी 114 / 2003 को एन सी एल टी को हस्तांतरित करना, एन सी एल टी के विचार में नहीं आया है क्योंकि कोविड 19 संबंधित लॉक डाउन की स्थिति और बाधाओं के कारण , कंपनी के आवेदन पत्र सी.ए 429/2019 18/5/2020 दिनांकित का आदेश की प्रमाणित प्रति अभी तक जारी नहीं किया गया है ।

<u>एच पी एफ द्वारा आयोजित वन भूमि की बहाली</u>

इस बीच, कंपनी को जिला वन अधिकारी से दिनांकित 23/10/2019 से एक पत्र मिला था जिसमें निर्देश दिया गया था कि एच पी एफ के कब्जे में 303.30 एकड़ वन भूमि 10 दिनों के अंदर वन विभाग को सौंप दी जाए। कंपनी के वकीलके पत्र के माध्यम से कंपनी ने जवाब दिया था कि कंपनी के समापन के लिए कंपनी की याचिका अदालत में विचाराधीन था, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष में 80% अग्रिम वसूली से संबंधित समस्या लंबित थी और इसलिए भूमि की बहाली करने के कोई कार्रवाई इस मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए अवक्षेपण होगा। डी एफ ओ से दिसंबर 2019 तक कार्यवाही को यथावत रखने का अनुरोध किया गया था, इस समय तक, मुद्दे पर अंतिम फैसला होने की उम्मीद थी।

एक और पत्र दिनांकित 19.02.2020 ,नीलगिरी जिला कलेक्टर से प्राप्त हुआ (05.05.2020 को सी एम डी द्वारा प्राप्त), कार्यवाही को सूचित करते हुए कि पूरी 292.71 एकड़ वन भूमि जो मूल रूप से एच पी एफ को सौंपा गया, दुबारा वन विभाग को सौंप दिया गया। इसमें से 25 एकड़ वन भूमि, नए सरकारी मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए पहचान की गई थी।कंपनी द्वारा वन विभाग को भूमि बहाली के विरोध के बावजूद,10/07/2020 को, तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री ने मेडिकल कॉलेज के लिए आधार शिला रखी और और निर्माण कार्य शुरू हो गए हैं।एन सी एल टी से निर्णय आने तक प्रतीक्षा करने का कंपनी का अनुरोध बेकार हो गया।

हालांकि, भारी उद्योग विभाग के निर्देशों के आधार पर, एक रिट याचिका डब्ल्यू पी 9566 / 2020 भूमि बहाली के खिलाफ दायर की गई थी और मेडिकल कॉलेज के कामों पर स्टे लगाना की। कोर्ट ने 22/07/2020 को राज्य सरकार द्वारा काउंटर दायर करने के लिए मामले को स्थगित कर दिया, लेकिन कामों का रोक देने से इनकार कर दिया। साइट पर निर्माण कार्य प्रगति पर है।

आभारोक्ति

आपके निदेशकगण भारत सरकार के विभिन्न विभागों विशेषकर भारी उद्योग विभाग, बैकर्स एवं महत्वपूर्ण ग्राहकों से प्राप्त सहयोग और समर्थन को कृतज्ञतापूर्वक याद करना चाहते हैं। आपकी कंपनी कर्मचारियों के बहुमूल्य सेवाओं की कृतज्ञतापूर्वक प्रशंसा करती है।

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

एस गिरिष कुमार
अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक

प्रबन्ध मण्डल के विचार विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट

कंपनी के संचालन में ठहरवा आ गया है। कंपनी के सभी कर्मचारियों को प्रशासनिक मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार 30.6.2016 या उससे पहले वी आर एस पर राहत किया गया है। कंपनी परिसमापन के अधीन है और मद्रास के माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांकित 8.9.2017 को आधिकारिक परिसमापक को संपत्ति का प्रभार लेने और कंपनी के रिकॉर्ड की पुस्तकों की जांच करने की सलाह दी है। आधिकारिक परिसमापक द्वारा परिसंपत्तियों कों अधिकार लेना प्रतीक्षित था । इस बीच, सुरक्षित लेनदारों की ओर से, एच पी एफ द्वारा जारी डिबेंचर के ट्रस्टी के रूप में मैसर्स केनरा बैंक ने मद्रास के माननीय उच्च न्यायालय में एक कंपनी आवेदन सी.ए. नंबर 429/2019 , 15/11/2019 को यह प्रार्थना के साथ दायर किया था –"उपस्थित कंपनी याचिका सी. पी. नंबर 114/2003 को तीव्र और शीघ्र निपटारा करने के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल(एन सी एल टी) चेन्नई बेंच को स्थानांतरित करने के लिए"। 18.05.2020 को, माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया, जिसमें कंपनी की याचिका सी पी.114 / 2003 को एन सी एल टी को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया गया। कंपनी याचिका सी पी 114 / 2003 को एन सी एल टी को हस्तांतरित करना, एन सी एल टी के विचार में नहीं आया है क्योंकि कोविड 19 संबंधित लॉक डाउन की स्थिति और बाधाओं के कारण , कंपनी के आवेदन पत्र सी. ए 429/2019 , 18/5/2020 दिनांकित का आदेश की प्रमाणित प्रति अभी तक जारी नहीं किया गया है ।

एचपीएफ द्वारा आयोजित वन भूमि की बहाली

इस बीच, कंपनी को जिला वन अधिकारी से दिनांकित 23/10/2019 से एक पत्र मिला था जिसमें निर्देश दिया गया था कि एच पी एफ के कब्जे में 303.30 एकड़ वन भूमि 10 दिनों के अंदर वन विभाग को सौंप दी जाए। कंपनी के वकील के पत्र के माध्यम से कंपनी ने जवाब दिया था कि कंपनी के समापन के लिए कंपनी की याचिका अदालत में विचाराधीन था, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष में 80% अग्रिम वसूली से संबंधित समस्या लंबित थी और इसलिए भूमि की बहाली करने के कोई कार्रवाई इस मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए अवक्षेपण होगा। डी एफ ओ से दिसंबर 2019 तक कार्यवाही को यथावत रखने का अनुरोध किया गया था, इस समय तक, मुद्दे पर अंतिम फैसला होने की उम्मीद थी।

एक और पत्र दिनांकित 19.02.2020 नीलगिरी जिला कलेक्टर से प्राप्त हुआ (05.05.2020 को सी एम डी द्वारा प्राप्त), कार्यवाही को सूचित करते हुए कि पूरी 292.71 एकड़ वन भूमि जो मूल रूप से एच पी एफ को सौंपा गया, दुबारा वन विभाग को सौंप दिया गया । इसमें से 25 एकड़वन भूमि, नए सरकारी मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए पहचान की गई थी।कंपनी द्वारा वन विभाग को भूमि बहाली के विरोध के बावजूद,10/07/2020 को, तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री ने मेडिकल कॉलेज के लिए आधार शिला रखी और और निर्माण कार्य शुरू हो गए हैं। एन सी एल टी से निर्णय आने तक प्रतीक्षा करने का कंपनी का अनुरोध बेकार हो गया।

हालांकि, भारी उद्योग विभाग के निर्देशों के आधार पर, एक रिट याचिका डब्ल्यू पी 9566 / 2020 भूमि बहाली के खिलाफ दायर की गई थी और मेडिकल कॉलेज के कामों पर स्टे लगाना की । कोर्ट ने 22/07/2020 को राज्य सरकार द्वारा काउंटर दायर करने के लिए मामले को स्थगित कर दिया, लेकिन कामों का रोक देने से इनकार कर दिया। साइट पर निर्माण कार्य प्रगति पर है।

प्रचालकीय निष्पादन के संबंध में, वित्तीय निष्पादन पर विचार-विमर्श

कंपनी के संचालन मे ठहराव और कंपनी की लगातार बीमारी के कारण, कंपनी की वित्तीय दशाओं में कोई मुख्य परिवर्तन नही हो सका । नकद हानि लगभग 2.34 करोड रुपये है ।संचित हानियों का प्रमुख भाग, संचित ब्याज एवं अमाननीय मूल्यह्रास है । इनके कारण कंपनी का निवल मूल्य अब तक नकारात्मक है।

मानव संसाधन / औद्योगिक संपर्क में प्रमुख विकास

कंपनी के रोल पर कोई कर्मचारी नहीं हैं। सभी कर्मचारियों को अलग-अलग चरणों में 30.6.2016 या उससे पहले राहत किया गया है।

भविष्य की दृष्टिकोण

कंपनी को बी आई एफ आर द्वारा समापन करने की सिफारिश की गई थी, जिसे मद्रास के माननीय उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया था । मद्रास उच्च न्यायालय ने आधिकारिक परिसमापक को सम्पत्तियों का प्रभार लेने और कंपनी के रिकॉर्ड की पुस्तकों की जांच करने की सलाह दी थी। आधिकारिक परिसमापक द्वारा कंपनी के संपत्तियों के अधिग्रहण का इंतजार किया गया था। इसी बीच मेसर्स कैनरा बैंक ने मद्रास उच्च न्यायालय में कंपनी एप्लीकेशन नंबर .429 / 2020 से कंपनी याचिका सी पी संख्या 114 / 2003 को एन सी एल टी को स्थानांतरित करने के लिए संपर्क किया है ।18.05.2020 को, माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया, जिसमें कंपनी की याचिका सी पी.114 / 2003 को एन सी एल टी को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया गया। कंपनी याचिका सी.पी. 114 / 2003 को एन सी एल टी को हस्तांतरित करना, एन सी एल टी के विचार में नहीं आया है क्योंकि, कंपनी के आवेदन पत्र सी.ए 429/2019, दिनांकित 18/5/2020 का आदेश की प्रमाणित प्रति अभी तक जारी नहीं किया गया है ।

एस गिरिष कुमार
अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक

निगमित शासन पर रिपोर्ट

शासन संहिता पर कंपनी का तत्व

एच पी एफ स्टेक होल्डर्स के ट्रस्टीस के रूप में एवं स्वच्छ और खुले शासन देने की अपनी जिम्मेदारियो को समझती है । इसे स्टॉक विनिमय की लिस्टिंग करार खंड 49की अपेक्षाओं के पालन द्वारा सशक्त किया गया है ।

I. निदेशकगण मण्डल :

क) बनावट

31 मार्च 2020 के अनुसार कंपनी की बोर्ड निम्न प्रकार थी ।

निदेशकगण के नाम (सर्वश्री)	पदनाम	कार्यपालक/ गैर कार्यपालक	श्रेणी	अन्य कंपनियों मे निदेशकता की संख्या	अन्य कंपनियों में रखी समिति की पदों की संख्या
एस गिरिष कुमार	अ एव प्र नि एवं निदेशक (वित्त)	कार्यपालक	अधिकारी	1	--
सुनिल कुमार सिंह	निदेशक	गैर कार्यपालक	अंशकालिक सरकारी निदेशक	3	-
डॉ टि विजया लक्ष्मी	निदेशक	गैर कार्यपालक	स्वाधीन नदेशक	-	-
पुरुषोत्तम म बन्देकर	नामिति निदेशक	गैर कार्यपालक	निमिति निदेशक (एसययू टी आई)	-	-

- डॉ अशोक त्रिपाठी **के स्थान पर, 30.01.2020** से डॉ टि विजया लक्ष्मी, **निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है**
- श्री सुनिल कुमार सिंह **के स्थान पर, 02.06.2020** से श्री मदन पाल सिंह, **निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है**
- कंपनी के कोई निदेशकगण कंपनी के अन्य निदेशकों से और कंपनी के किसी कारोबार सेा संबंधित नही है ।

ख) निदेशकों की हाजिरि

2019-20 साल के दौरान, बोर्ड की 4 बैठकें हुईं । साल के दौरान हुई बोर्ड की बैठकों एवं वार्षिक सामान्य बैठक में निदेशकों की उपस्थिति निम्न प्रकार रही ।

निदेशकों के नाम (सर्वश्री)	हुई बोर्ड बैठकों की संख्या	समय के दौरान हुई बोर्ड बैठकों की सं	उपस्थित बोर्ड बैठकों की संख्या	एजीएम में भाग
एस गिरिष कुमार	4 बैठकें हुई 10.05.2019, 30.05.2019 8.11.2019 & 7.02.2020	4	4	हॉ
सुनिल कुमार सिंह		4	3	नही
डॉ अशोक त्रिपाठी		4	4	हॉ
पुरुषोत्तम म बन्देक		4	4	नही

ग) गैर - कार्यपालक निदेशकों की प्रतिपूर्ति और प्रकटनें :

कंपनी के संपूर्ण अवधि के निदेशकगण भारत सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं और उनकी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाता है । नामिति निदेशकों को उनके द्वारा भाग लिए मण्डल के प्रति बैठक के लिए 4000/- रु शुल्क और प्रति उप समिति बैठक के लिए 2000/- रु दिए जा रहे हैं ।

घ) बोर्ड के कार्यविधि :

बोर्ड की बैठकें प्रति तिमाही में होती हैं और आवश्यकता पड़ने पर, सांविधिक अपेक्षित मामलों के विचार विमर्श के लिएअधिक बार होती है । यथावश्यक समय में, सर्कुलेशन के द्वारा संकल्प जारी किये जाते हैं एवं बोड की अगली बैठक में उन्हें प्रस्तुत किया जाता है ।

बैठकों के लिए कार्यसूची ,अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशकके साथ परामर्श करके तैयार किया जाता है और पूर्व ही निदेशकों को बोर्ड के कागज सर्कुलेट किए जाते है । कंपनी की बोर्ड बैठक में विचार विमर्श करने में, अंशकालिक निदेशकों का हाथ प्रधान है जो व्यापित विभिन्न क्षेत्रों में निपुण हैं ।बैठकों की कार्यवृत्ति को रिकार्ड करने की उचित प्रणाली है और उन परकार्यवाही भी होती है ।

ङ)आचरण संहिता

बोर्ड के निदेशकगण और कंपनी के वरिष्ठ प्रबन्ध मण्डल के कार्मिकों के लिए एक आचरण संहिता बनायी गयी है । 31.03.2020 समाप्त वर्ष के लिए, सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबन्ध मण्डल के कार्मिकों ने आचरण संहिता का अनुपालन प्रमाणित किया है ।

II. लेखा परीक्षा समिति

कंपनी में, कंपनी अधिनियम 2013 धारा 177 के साथ लिस्टिंग करार के खंड 49 के अनुसार एक लेखा परीक्षा समिति बनायी गयी है ।

क) बनावट

साल के दौरान लेखा परीक्षा समिति के विवरण निम्नप्रकार थे :

- लेखा परीक्षा समिति में एक सरकारी निदेशक , एक स्वाधीन निदेशक, एक नामिति निदेशकसहित तीन सदस्य हैं ।
- कोई निदेशक कपंनी में कोई अन्य रूचि नही रखते ।
- लेखा परीक्षा समिति के सभी सदस्यगण हिसाब-किताब में शिक्षित हैं ।
- निदेशक (वित्त) , उपप्रबन्धक (वित्त), आंतरिक लेखा परीक्षा के अध्यक्ष और सांविधिक लेखा परीक्षकगण की आवश्यकता जब होती है तब उन्हें लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में भाग लेने का निमंत्रण दिया जाता है ।

ख) लेखा परीक्षा समिति की बैठकें

2019-20 साल के दौरान, 4 लेखा परीक्षा समिति की बैठकें हुई थी । साल के दौरान हुई लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में निदेशकगणों की हाजिरी निम्नप्रकार थी ।

निदेशकों का नाम (सर्वश्री)	हुई लेखा परीक्षा समिति की बैठकें	समय के दौरान हुई लेखा परीक्षा समिति की बैठकें	भाग लिए गये लेखा परीक्षा समिति की बैठकों की संख्या
डॉ अशोक त्रिपाठी	4 बैठकें हुई 10.05.2019, 30.05.2019 8.11.2019 & 7.02.2020	4	4
सुनिल कुमार सिंह		4	3
श्री पुरुषोत्तम म बन्देकर		4	4

ग) लेखा परीक्षा समिति के कर्तव्यऔर अधिकार

लेखा परीक्षा समिति को लिस्टिंग करार स्टॉक विनिमय सहित खंड 49 के अधीन विनिर्दिष्ट के अनुसार अधिकार और **भूमिका सौंपा** है ।

घ) लेखा परीक्षा समिति से सुचना के पुनरीक्षण

लेखा परीक्षा समिति, लिस्टिंग करार खण्ड 49 के अनुसार आंतरिक लेखा परीक्षा और अन्य मामलों के अनुरूप कंपनी के वित्तीय विवरणों को आवधिक रूप से पुनरीक्षण करती है ।

III. शेयर स्थानांतरण समिति

कंपनीमेशेयर स्थानांतरण के कार्यकलाप एक समिति को सौंपा गया है । 31.03.2020 के अनुसार लगभग 90 प्रतिशत की शेयर पूंजी भारत के राष्ट्रपति के नाम पर है और बाकी 10 प्रतिशत शेयर ही अन्यों के पास है । केवल, राष्ट्रपति के नामितियों के बीच में ही शेयर स्थानांतरण हो रहा है ।आज की तारीख पर कोई शेयर स्थानांतरण शेष नही है।

IV. आनुषंगिक कंपनियॉ

कंपनी की कोई आनुषंगिक कंपनियॉ नही है ।

V. सामान्य बैठकें

पिछले तीन सालों के दौरान हुई सामान्य बैठकों का स्थान व समय :

बैठक की प्राकृति	तारीख व समय	विशेष संकल्पों की जारी	स्थान
56 ए जी एम	25.09.2017 – 13.30 घंटे	--	होटल अलंकार ग्रैंड, कोयम्बटूर
57 ए जी एम	28.11.2018 -11.00 घंटे	--	होटल सिटी टावर्स, कोयम्बटूर
58 ए जी एम	16.08.2019 12.00 Hrs	--	होटल गोकुलम पार्क, कोचीन

पिछले साल पोस्टल बेल्लट के द्वारा कोई संकल्प पारित नही किया गया । जब आवश्यकता पडेगी, पोस्टल बेल्लट कार्यान्वित की जाएगी ।

VI.प्रकटनें

क) पार्टी व्यवहार संबंधित आधार

2019-20 साल के दौरान, कंपनी ने अपने प्रोमोटर्स, निदेशकगण या प्रबन्ध मण्डल, उनके आनुषंगिक या रिश्तेदारों आदि के साथ किसी प्रकार के कारोबार में प्रविष्ट नहीं किया है जो कंपनी के संभावित साधन के विरुध्द हों । संबंधित पार्टियों के साथ कोई वैयक्तिगत कारोबार भी नही हुए हैं ।

ख) लेखाकरण प्रबन्ध के प्रकटन

साल के दौरान लेखाकरण स्तरों में कोई परिवर्तन नही हुए है ।

ग) जोखिम प्रबन्ध पर बोर्ड को प्रकटन

कंपनी ने जोखिम निर्धारण और अल्पीकरण पद्धतियों के बारे में बोर्ड के सदस्यों को सूचित करने की कार्याविधि बनायी है ।

घ) सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम एवं उत्तम निर्गम से कार्यवाही

2019-20 साल के दौरान कंपनी पर कोई सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम एवं उत्तम निर्गम जारी नही किया गया ।

ड) गैरपालक निदेशकगण / निदेशकगण की पारिश्रमिक

- समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने गैर कार्यपालक निदेशकों ने कंपनी से कोई धन संबंधी व्यवहार नही किया ।
- कंपनी के पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है और उन्हे नियुक्ति की शर्तों के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाता है । अतः कंपनी ने पारिश्रमिक समिति का गठन नही किया है ।निदेशकों द्वारा भाग लिए मण्डल के प्रति बैठक के लिए 4000 रुपये शुल्क और प्रति उप समिति बैठक के लिए 2000 रुपये दिए जाते हैं ।

च) प्रबन्ध मण्डल

प्रबन्ध मण्डल का विचार विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट अलग से वार्षिक रिपोर्ट में शामिल है ।

छ) निगमित शासन पर रिपोर्ट

विनिमय को प्रस्तुत की गयी तिमाही अनुपालन रिपोर्ट उन स्टॉक विनिमयो को भेजते हैं जहॉ कंपनी के इंक्विटी शेयर लिस्टड हैं।

ज) सी ई ओ और सी एफ ओ का प्रमाणिकरण

निदेशक (वित्त) और प्रभारी अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, कंपनी के बोर्ड के निदेशकों को प्रमाणित करते हैं कि :

क) उसने अपने उच्चतम ज्ञान और विश्वास के साथ साल के वित्तीय विवरण और नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है कि :
i)इन विवरणों में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण नही है और न ही किसी मुख्य विषय को छोडा गया है। इनमें भटकाते विवरण भी शामिल नही है ।
ii) ये विवरण कंपनी के कारोबार का सही और वास्तविक प्रस्तुतीकरण है और वर्तमान में लागू कानून और विनिमय लेखाकरण स्तरों के अनुपालन में है ।

ख) अपने उच्चतम ज्ञान एव विश्वास के साथ सूचना देते हैं कि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने किसी कारोबार में प्रविष्ट नही किया है जो कंपनी के आचरण संहिता के बनाम
कपटी, गैरकानूनी या उल्लंघ हों ।

ग) उन्होनें वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रणों के स्थापना और रखरखाव के लिए जिम्मेदारी ली है और कंपनी के प्रचालन वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधित आंतरिक नियंत्रण पद्धतियों को प्रभावी रूप से मूल्यांकित किया है एवं उन्होंने आंतरिक पद्धतियों के डिसाइन एवं में पाई कमियों को लेखा परीक्षक और लेखा परीक्षा समिति को प्रकटन किया है ताकि वे उसे पहचानें और उन कमियों को दूर करने के लिए कोई कदम ले या प्रस्ताव दें ।

घ) उसने लेखा परीक्षकगण तथा लेखा परीक्षा समिति को निम्न संकेत किया है :
i)साल के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के द्वारा लाए महत्वपूर्ण परिवर्तन ।
ii) साल के दौरान लेखाकरण नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन और उसे वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रकटन किया है और
iii) ऐसे धोखे की घटनाएँ जिनका पता चला और जहॉ किसी प्रबन्ध मण्डल के सदस्य या कर्मचारी का हाथ हों जिसका वित्तीय रिपार्टिंग पर कंपनी के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का प्रमुख भाग हों ।

VII. पत्र व्यवहार का आशय :

कंपनी शेयरधारकों अपनी वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से संचार करती है

VIII. सामान्य शेयरधारी सूचना :

ए जी एम	:	**होटल गोकुलम पार्क, कोचीन**
हिसाब किताब समाप्ति की तारीख	:	ए जी एम के 7 दिनों के पूर्व
लाभांश भुगतान तारीख	:	कंपनी की हानियों की वजह से लागू नही ।

स्टॉक विनिमय पर लिस्टिंग :

कंपनी के शेयर, मद्रास व मुम्बई स्टॉक विनिमयों पर लिस्ट की गयी है । इसके बाण्ड्स मद्रास, मुम्बई और कोल्कत्ता स्टॉक विनिमय में लिस्ट की गयी है । कंपनी द्वारा सामना किये जा रहे सख्त वित्तीय संकटों के कारण, निम्नलिखित लिस्टिंग शुल्क बकाया है ।

चेन्नै स्टॉक विनिमय : 2002-03 से
मुम्बई स्टॉक विनिमय : 2000-01 से
कोल्कत्ता स्टॉक विनिमय : 1997-98 से
स्टॉक संहिता : मद्रास स्टॉक विनिमय : एच पी एफ,
मुम्बई स्टॉक विनिमय : 524316

फिर कंपनी ने स्टॉक विनिमयों से अपनी शेयरों को स्वैच्छिक डीलिस्टिंग करने का प्रारंभ किया । पर उस कार्य पूर्ति कर नही पायी चूंकि डीलिस्टिं की शर्त यह है कि लिस्टिंग शुल्क के बकायें को भुगतान किया जाए, पर इस दशा में कंपनी से संभव न हों ।

- बाजार दाम के आंखडे : अब बाजार में कंपनी के शेयर अंकित नही हैं
- स्पष्ट आधारित चिन्हों के निष्पादन की तुलना में : लागू नही
- पंजीयक और स्थानांतरण एजेन्ट्स : शून्य
- शेयर स्थानंतरण प्रणाली : कंपनी मे इन-हाऊस शेयर स्थानांतरण सुविधा है

- 31.03.2020 के अनुसार शेयरहेल्डिंग का वितरण :

श्रेणी	**शेयर सं**	**% शेयर**	
भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति और उनके नामिति)	186178500		90.00
जी आई सी और उनके आनुषंगिक	19187800	9.276	10.00
विशेषराष्ट्रीय निवेश निधि	1496100	0.723	
भारतीय जनता (स्थानांतरण से)	2600	0.001	
कुल	**206865000**		**100.00**

- शेयर और लिक्विडिटी की डीमैट्रीयलाइशेषण : शेयरों को डीमैट्रीयलाइस नही किया ।
- बकाया जी डी आर /ए डी आर /वारन्ट्स या अन्य परिवर्तनीय साधन, बदलीकरण की तारीख व ईक्विटी पर उसका यथा प्रभाव : शून्य
- सांविधिक अपराधें : कंपनी पर पिछले तीन सालों के दौरान पूंजी बाजार संबधित मामले पर स्टॉक विनिमय / एस ई बी आई द्वारा कोई जुर्माना / चेतावनी नही लगायी गयी है।

संयत्र के स्थानः

संयंत्र	**स्थान**	**विवरण**
इकाई I	उटकमण्ड, तमिलनाडू	कॉला व श्वेत फोटोग्राफिक उत्पादों के लिए और आयातित कोटड वाइड स्टॉक (रंगीन उत्पादों) कन्वर्शन के लिए पूर्णतः एकीकृत उत्पादन इकाई
इकाई III		मॉग्नेटिक टेप प्रभाग
इकाई IV		स्टेट आफ थी आर्ट पॉलिएस्टर एक्स-रे संयंत्र
इकाई II	अम्बत्तूर, चेन्नै, तमिलनाडू	कन्वर्शन इकाई और प्रोससिंग रसायन इकाई

पत्राचार के लिए पता : कंपनी सचिव का **कार्यालय**
हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यु कं लि,
इन्दु नगर, उटकमण्ड - 643 005

IX.गैर-सांविधिक अपेक्षाओं सहित अनुपालन

- कंपनी के पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति सरकार द्वरा की जाती है और नियुक्ति की शर्तों के अनुसार पारिश्रमिक दी जा रही है। अत: कंपनी ने पारिश्रमिक समिति का गठन नही किया है।
- श्री गिरिष कुमार, अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशकएच एम टी , बैंगलोरे, एच पी एफ के निदेशक (वित्त) और अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार जारी भी है जिसकेलिए कोई पारिश्रमिक नही दिया जाता।
- फिलहाल शेयरधारियों को, अर्ध वार्षिक परिणामों सहित संक्षिप्त महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण नही भेजा जा रहा है।
- मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान निदेशकों के लिए किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन नही किया गया।
- कंपनी में किसी प्रकार की विसिल ब्लोयर पॉलिसि नही है ।

X. अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक की घोषणा

यह प्रमाणित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मण्डल के सदस्यों एवं कंपनी के वरिष्ठ प्रबन्ध मण्डल के लिए आचरण संहिता बनायी गयी है। आगे प्रमाणित किया जाता है कि बोर्ड के निदेशकगणों के सदस्य एवं वरिष्ठ प्रबन्ध मण्डल के कार्मिकों ने 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान उस संहिता अनुपालन के बारे में प्रमाणित किया है ।

स्थान : उटकमण्ड
दिनांक : 20.08.2020

एस गिरिष कुमार
अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक

नरेश एंड को **27 सी मारीअमन कोइल स्ट्रीट**
सनदी लेखाकार, **विल्लुपुरम,** चेनै **605602**

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अध्याय IV के प्रावधानों के अनुसार कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रमाण पत्र

सदस्यों के लिए

हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, इंदुनगर

- हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा तैयार कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट (कंपनी) में विनियमन 17 से 27 में निर्धारित नियम और नियम (बी) से (ऐ) विनियमन 46 (2) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुसूची V के पैरा सी और डी , 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के संबंध में संशोधित ("लिस्टिंग विनियम") ('लागूमानदंड') के विवरण शामिल है।

प्रबंधन की जिम्मेदारी

कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट की तैयारी कंपनी के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है जिसमें सभी प्रासंगिक सहायक अभिलेखों और दस्तावेजों की तैयारी और रखरखाव शामिल है। जिम्मेदारी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव भी शामिल है।

निदेशक मंडल के साथ प्रबंधन भी यह सुनिश्चित करने के लिए ज़िम्मेदार है कि कंपनी कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन करती है जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी लिस्टिंग विनियमों में निर्धारित है।

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

1. हमारी ज़िम्मेदारी उचित आश्वासन प्रदान करना है कि कंपनी ने कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों का पालन किया है, जो लिस्टिंग विनियमों में निर्धारित है ।
2. हमने चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ("आई सी ए आई ") द्वारा जारी विशेष उद्देश्यों के लिए रिपोर्ट या प्रमाण पत्र पर मार्गदर्शन नोट और कॉरपोरेट गवर्नेंस के प्रमाणन पर मार्गदर्शन नोट के अनुसार कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट की परीक्षा आयोजित की है ।
3. हमने गुणवत्ता नियंत्रण (एस क्यू सी) 1 परमानक की प्रासंगिक लागू आवश्यकताओं का पालन किया है, जो फर्मों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण है जो लेखा परीक्षा और ऐतिहासिक वित्तीय जानकारी और अन्य आश्वासन और संबंधित सेवा गतिविधियों की समीक्षा करता है ।
4. चयनित प्रक्रियाओं के साथ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट के अनुपालन से जुड़े जोखिमों के आकल न सहित लेखापरीक्षकों के फैसले पर प्रक्रियाएं निर्भर करती हैं। प्रक्रिया में शामिल हैं, सचिवालय रिकॉर्ड और कंपनी की वित्तीय जानकारी का सत्यापन और कंपनी के निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों सहित आवश्यक प्रतिनिधित्व और घोषणाएं प्राप्त करना ।
5. प्रक्रियाओं के परीक्षण आधार पर कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट में विवरण का समर्थन करने वाले प्रमाणों की जांच भी शामिल है । इसके अलावा, इस रिपोर्ट के तहत हमें किसी भी वित्तीय जानकारी की निष्पक्षता या सटीकता या पूरी तरह से ली गई कंपनी के वित्तीय विवरणों पर निष्पक्षता व्यक्त करने के प्रयोजनों के लिए काम का दायरा लेखापरीक्षा परीक्षण में प्रदर्शन करने में शामिल नहीं किया ।

योग्य राय

उपरोक्त अनुच्छेद 4 और 5 में उल्लिखित प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम मानते हैं कि निम्नलिखित को छोड़कर ,कंपनी ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का पालन किया है जैसा कि लिस्टिंग विनियमों में निर्धारित है, उपरोक्त अनुच्छेद 1 में निर्दिष्ट

है

क.i. पैरा 17 (1) (ग) अध्यक्ष गैर-कार्यकारी निदेशक हैं और बोर्ड में कम से कम एक तिहाई स्वतंत्र निदेशकों का समावेश होगा।

ii. पैरा 17 (1) (घ) बोर्ड में कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशकों का समावेश होगा।

iii. पैरा 18 (1)(ग)- लेखा परीक्षा समिति के दो-तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे।

iv. पैरा 18 (1) (ङ) कंपनी सचिव लेखा परीक्षा समिति के सचिव के रूप में कार्य करेगा

v. पैरा 25- स्वतंत्र निदेशकों के संबंध में दायित्व।

ख. इसके अलावा, कंपनी ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 46 (2) के खंड (बी) से (ऐ) तक के पूर्ण अनुपालन नहीं किया है ।

ग. प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकता विनियम, 2015 के निम्नलिखित पैरा, कंपनी के लिए लागू नहीं हैं:

i. पैरा 19- नामांकन और पारिश्रमिक समिति

ii. पैरा 20- शेयरधारकों का रिश्ते समिति

iii. पैरा 21- जोखिम प्रबंधन समिति और

iv. पैरा 22- सतर्क क्रियाविधि

उपयोग पर अन्य मामलों और प्रतिबंध

यह प्रमाण पत्र न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है या न ही दक्षता या प्रभावशीलता जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का आयोजन किया है।

यह प्रमाण पत्र पूरी तरह से कंपनी के सदस्यों को लिस्टिंग आवश्यकताओं के तहत अपनी दायित्व का पालन करने के उद्देश्य से प्रदान किया जाता है और किसी अन्य व्यक्ति या किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए । तदनुसार, हम किसी भी उत्तरदायित्व को स्वीकार या ग्रहण नहीं करते हैं या देखभाल का कर्तव्य या किसी अन्य उद्देश्य के लिए या किसी अन्य पार्टी के लिए जिसे यह दिखाया गया है और न ही जिनके हाथों में यह लिखित में हमारी पूर्व सहमति के बिना आ सकता है। इस प्रमाण पत्र की तारीख के बाद होने वाली घटनाओं और परिस्थितियों को प्रमाण पत्र में अद्यतन करना हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है ।

कृते नरेश एंड को
सनदी लेखाकार
एफ आर एन 011239एस
एन रामलिंगम
सहयोगी
सदस्यता संख्या : 208992

स्थान : उटकमण्ड
दिनांक : 20.08.2020

निदेशकों के प्रतिवेदन का अनुशेष

	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	कंपनी का उत्तर
1.	कंपनी परिसमापन के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार नहीं किए हैं यद्यपि यह एक चल रहा संगठन नहीं हैं क्योंकि उच्च न्यायालय द्वारा समेटना का सिफारिश स्वीकार किया है, हालांकि, आधिकारिक परिसमापक अभी तक प्रभार नहीं लें है (नोट 30. 11) देखें। हम वित्तीय विवरणों के सामानों के परिणामी समायोजन निर्धारित करने में असमर्थ हैं।	यह सही है कि कंपनी मद्रास के माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों और निर्देशों के तहत वैधानिक रूप से समापन होने की प्रक्रिया में था और आधिकारिक परिसमापक को कंपनी का प्रभार लेने के लिए कहा गया था। हालाँकि, आधिकारिक परिसमापक ने कंपनी का कार्यभार नहीं संभाला था और समापन कार्यवाही मेसर्स कैनरा बैंक द्वारा दायर कंपनी एप्लीकेशन सी.ए. 429/2019 में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश 18/05 / 2020 अनुसार अब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को हस्तांतरित की गई है । इससे पहले, फरवरी 2014 के दौरान, भारत सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कंपनी के रोल पर शेष कर्मचारियों को 2007 के वेतनमान में वी आर एस की पेशकश करने और कंपनी को बंद करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्णय लिया था। समापन करने के लिए एक प्रस्तावना के रूप में, कंपनी के सभी कर्मचारी 30.06.2016 या उससे पहले, विभिन्न बैचों में आर एस के तहत राहत दिया हैं, और अब कंपनी के रोल पर कोई कर्मचारी नहीं हैं । आधिकारिक लिक्विडेटर / एन सी एल टी के निर्णय के अनुसार उपयुक्त अधिकारियों द्वारा कंपनी की परिसंपत्तियों और देनदारियों की अधिग्रहण करना प्रतीक्षित है । इन परिस्थितियों में, कंपनी के वित्तीय विवरण गोइंग कंसर्न के आधार पर तैयार कि जाना जारी रहा ।
2.	कंपनी ने इंड एए स वित्तीय विवरण जैसा कि अधिनियम की धारा 133 के तहत आवश्यक है, वहां जारी किए गए प्रासंगिक नियमों के साथ पढ़ें के रूप में तैयार नहीं किया हैइसके अलावा वित्तीय वक्तव्य कंपनी अधिनियम 2013 की आवश्यकता का पालन नहीं करता है -डिवीजन II - वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए अनुसूची III और फ्रेमवर्क और वित्तीय वक्तव्य की तैयारी और प्रस्तुति के लिए ढांचा भारतीय लेखा मानक के अनुसार वर्गीकरण / उप वर्गीकरण लाइन आइटम / उप लाइन आइटम और	जैसा कि ऊपर कहा गया है, कंपनी के रोल पर कोई कर्मचारी नहीं हैं, और आधिकारिक लिक्विडेटर/ एन सी एल टी के निर्णय के अनुसार उपयुक्त अधिकारियों द्वारा कंपनी की परिसंपत्तियों और देनदारियों की अधिग्रहण करना प्रतीक्षित है । इसलिए वित्तीय स्टेटमेंट तैयार करने के लिए जो प्रथाएं लागू थीं और जिनका पालन किया जा रहा है, उन्हें जारी रखा जा रहा है।

	अन्य आवश्यक प्रकटीकरण के संबंध में (अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने की टिप्पणियाँ) निम्नलिखित सहित: क . विभिन्न वित्तीय संस्थानों से दीर्घ कालिक उधार जिसमे शामिल ऋण और डिबेंचरों गैर मौजूदा देनदारियों के रूप में वर्गीकृत है ।कंपनी ने ऋण और ब्याज के पुनर्भुगतान के संबंध में समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया है क्योंकि निपटारे को स्थगित करने के लिए उसके पास बिना शर्त अधिकार नहीं है और इसके परिणामस्वरूप इसे वर्तमान देयता के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए(नोट संख्या 5 देखें) ख .मूलधन और ब्याज की चुकौती में सुरक्षा की प्रकृति, पुनर्भुगतान शर्तों और डिफ़ॉल्ट के विवरण का खुलासा नहीं।	विभिन्न देनदारियों और परिसंपत्तियों की प्रकार और परिमाण पर अंतिम निर्णय , उचित अधिकारियों द्वारा कंपनी के पुस्तकों और अभिलेखों की जांच करने के बाद ही किया जा सकता है।
3.	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, पूंजी-कार्य-प्रगति (सी डब्ल्यू आई पी) और मूल्यह्रास के संबंध में: क .कंपनी ने उपयोगी जीवन का आकलन नहीं किया है और इसलिए लाभ और हानि में कोई हानि नहीं ली गई है। प्रासंगिक जानकारी की अनुपस्थिति में, वित्तीय विवरणों पर इसका प्रभाव पता नहीं लगाया जा सकता है। (नोट संख्या 30.27 देखें) ख. कंपनी ने वर्ष के लिए 69.74 लाख रुपये का मूल्यह्रास प्रदान नहीं किया है। (नोट संख्या.30.31 देखें) आयकर अधिनियम 1961 में निर्धारित दरों के आधार पर 31.3.1987 के मौजूदा संपत्तियों के संबंध में कंपनी सीधी रेखा मूल्यह्रास प्रदान कर रही है और उसके बाद अधिग्रहीत परिसंपत्तियों के संबंध में कंपनी अधिनियम 1956 में निर्धारित दरों पर जो कंपनी अधिनियम 2013 की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है जो परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन के अनुसार मूल्यह्रास की गणना के लिए जरूरी है। प्रासंगिक जानकारी की अनुपस्थिति में, वित्तीय विवरणों पर इसका प्रभाव पता नहीं लगाया जा सकता है ।(नोट संख्या 31.4 देखें)	क. 2013 से कंपनी के संचालन में ठहराव आने के कारण, और कंपनी को बंद करने के लिए सिफारिश की गई थी, और आधिकारिक परिसमापक / एन सी एल टी के निर्णय के अनुसार उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा कंपनी की संपत्ति और देनदारियों का अधिग्रहण का इंतजार है, स्थिर परिसंपत्तियॉ / मूल्यह्रास का मूल्य मौजूदा प्रथाओं के अनुसार दिखाया / गणना जारी है; उपयोगी जीवन का वास्तविक मूल्यांकन नहीं किया है। ख. ऊपर या पहले बताई गई परिस्थितियों के तहत, कंपनी के संचालन में ठहराव आने के कारण , नोट -30.31 के तहत चालू-वर्ष के लिए 69.74 लाख रुपये का मूल्यह्रास प्रदान नहीं किया है।
4.	कंपनी के खिलाफ विवादित दावों के आकस्मिक देनदारियां निर्धारित नहीं हैं और पूरी तरह से उद्घाटित नहीं हैं। प्रासंगिक जानकारी की अनुपस्थिति में, वित्तीय	संबंधित कानूनी मामले प्रतिरोध और अपील के विभिन्न चरणों में हैं। अंतिम फैसलों की अनुपस्थिति में कंपनी की देयता का

	विवरणों पर इसका प्रभाव पता नहीं लगाया जा सकता है ।(नोट संख्या 30.1 देखें)	आकलन करना संभवन हीं था।
5.	कंपनी ने खराब और संदिग्ध ऋण और गैर चलती सूची के लिए प्रावधान नहीं बनाया है और प्राप्तियां और सूची में बताई गई राशि का एहसास नहीं हो सकता क्योंकि कंपनी ने 2013 से संचालन बंद कर दिया है । प्रासंगिक जानकारी की अनुपस्थिति में, वित्तीय विवरणों पर इसका प्रभाव पता नहीं लगाया जा सकता है ।	लेखा परीक्षा समिति और बोर्ड का राय था कि तीन साल से अधिक संदिग्ध ऋण के लिए सामान्य प्रावधान और पांच साल से ऊपर की गैर-चलती सूची के लिए सामान्य प्रावधान करना उचित नहीं है। इसके बजाए यह निर्णय लिया गया कि देनदारों और सूचीका विस्तार से विश्लेषण किया जाना चाहिए और प्रावधानों को विशेष रूप से उन वस्तुओं के लिए बनाया जाना चाहिए जो गैर-पुनर्प्राप्ति योग्य ऋण और अप्रचलित सूची हैं। मामला अनिर्णीत है क्योंकि आधिकारिक परिसमापक / एन सी एल टी के निर्णय के अनुसार उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा कंपनी की संपत्ति और देनदारियों का अधिग्रहण का इंतजार है
6.	कंपनी ने उन मामलों के लिए उत्तरदायित्व नहीं बनाया है जो कंपनी के लिए प्रतिकूल हैं और जहां इसके बाद अपील संभव नहीं है या सॉलिसिटर द्वारा सलाह दी गई है कि आगे अपील नहीं हो सकती है। तथापि, प्रासंगिक जानकारी की अनुपस्थिति में परिमाणन नहीं किया जा सकता है ।	संबंधित कानूनी मामले प्रतिरोध और अपील के विभिन्न चरणों में हैं।अंतिम फैसलों की अनुपस्थिति में कंपनी की देयता का आकलन करना संभव नहीं था। जैसा कि पहले बताया गया है, कंपनी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, प्रासंगिक प्रथाओं को पिछले प्रथाओं के अनुसार कहा गया है।
7.	कंपनी ने मुद्दे की शर्तें के अनुसार आवश्यक डिबेंचर रिडेम्प्शन रिजर्वन हीं बनाया है । इसके फलस्व रूप अन्य इक्विटी - रिजर्व और अधिशेष और हानि न्यून-कथित । (नोट संख्या 30.3 देखें)	जैसा कि पहले बताया गया है, कंपनी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, प्रासंगिक प्रथाओं को पिछले प्रथाओं के अनुसार कहा गया है।
8.	अग्रिम, जमा, प्राप्तियां, बैंक / नकद खाता, वर्तमान देन दारियों, दीर्घ कालिक उधार के तहत शेष राशि पुष्टि, सुलह और परिणामी समायोजन के अधीन हैं । तथापि वित्तीय विवरणों पर इसका प्रभाव पतान हीं लगाया जा सकता है । (नोट संख्या 30.7 देखें)	लेनदेन पहले से ही स्थिर है और पुष्टि प्रमाण पत्र भी प्राप्त हो रहे हैं। वास्तविक बकाया राशि देय वित्तीय विवरणों में उद्घाटित किया गया है ।
9	गैर / देरी वैधानिक अनुपालन के लिए जुर्माना और ब्याज अर्थात आयकर, जी एस टी, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर इत्यादि उपलब्ध नहीं कराए गएहैं । इसके फलस्वरूप, नुकसान और अन्य मौजूदा देयताएं कम होजातीहैं । तथापि हम वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव को मापने में असमर्थ हैं।	मांगें प्रतिरोध और अपील के विभिन्न चरणों मेंहैं। जैसा कि पहले बताया गया है, कंपनी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, प्रासंगिक प्रथाओं को पिछले प्रथाओं के अनुसार कहा गया है।

10	4,61,992.05 लाख रुपये की वित्त लागत, प्रदान नहीं किया है, (नोट संख्या 30.30 देखें) ,परिणामस्वरूप नुकसान और देयताएं न्यून-कथित हैं।	नोट-30.30 के तहत इंगित वर्तमान-वर्ष की वित्त लागत, प्रदान नहीं किया है, क्योंकि उच्च न्यायालय ने कंपनी को बंद करने का सिफारिश स्वीकार कर लिया था। सभी कर्मचारियों को राहत दी गई है और आधिकारिक लिक्विडेटर / एन सी एल टी के निर्णय के अनुसार उपयुक्त अधिकारियों द्वारा कंपनी की परिसंपत्तियों और देनदारियों की अधिग्रहण करना प्रतीक्षित है।
	गोइंग कंसर्न से संबंधित सामग्री अनिश्चितता हम वित्तीय विवरणों में नोट नंबर 3 पर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो इंगित करता है कि कंपनी को संचित नुकसान हुआ है और इसकी निवल संपत्ति पूरी तरह से नष्ट हो गई है, कंपनी को चालू और पिछले वर्ष के दौरान शुद्ध हानि हुआ है, और कंपनी की वर्तमान देनदारियाँ बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार उसकी वर्तमान परिसंपत्तियों से अधिक हो गईं। कंपनी मद्रास के माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों और निर्देशों के तहत वैधानिक रूप से बंद होने की प्रक्रिया में है। (नोट संख्या 30.11 देखें) इन घटनाओं या स्थितियों से संकेत मिलता है कि एक सामग्री अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी को गोइंग कंसर्न के रूप में जारी जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकती है। इस मामले के संबंध में हमारी राय उपांतरित नहीं है।	कंपनी मद्रास के माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों और निर्देशों के तहत वैधानिक रूप से समापन होने की प्रक्रिया में था और आधिकारिक परिसमापक को कंपनी का प्रभार लेने के लिए कहा गया था। हालाँकि, आधिकारिक परिसमापक ने कंपनी का कार्यभार नहीं संभाला था और समापन कार्यवाही मेसर्स कैनरा बैंक द्वारा दायर कंपनी एप्लीकेशन 429/2019 में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश 18/05 / 2020 अनुसार अब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को हस्तांतरित की गई है । इससे पहले, फरवरी 2014 के दौरान, भारत सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कंपनी के रोल पर शेष कर्मचारियों को 2007 के वेतनमान में वी आर एस की पेशकश करने और कंपनी को बंद करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्णय लिया था। समापन करने के लिए एक प्रस्तावना के रूप में, कंपनी के सभी कर्मचारी 30.06.2016 या उससे पहले, विभिन्न बैचों में वी आर एस के तहत राहत दिया हैं, और अब कंपनी के रोल पर कोई कर्मचारी नहीं हैं । आधिकारिक लिक्विडेटर / एन सी एल टी के निर्णय के अनुसार उपयुक्त अधिकारियों द्वारा कंपनी की परिसंपत्तियों और देनदारियों की अधिग्रहण करना प्रतीक्षित है । इन परिस्थितियों में, कंपनी के वित्तीय विवरण गोइंग कंसर्न के आधार पर तैयार किया जाना जारी रहा ।
	विपरीत राय हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दी गई व्याख्याओं के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के प्रतिकूल राय अनुभाग के आधार में चर्चा की गई बात के महत्व के कारण, वित्तीय विवरण सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण नहीं देते हैं, 31 मार्च 2020 के कंपनी के मामलों की स्थिति पर भारत में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, इसके नुकसान की, और उस तारीख को समाप्त हो गए वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का।	

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से
एस गिरिष कुमार
अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक

31 मार्च 2020 के अनुसार तुलन पत्र

(रु हजार में)

ब्यौरे	अनुसूचियाँ	31.03.2020 को	31.03.2019 को
इंक्विटी एवं देयताएँ			
शेयर धारियों की निधि			
शेयरपूंजी	2	20,68,650	20,68,650
आरक्षण एवं अधिशेष	3	(23,94,35,581)	(23,94,12,074)
शेयर प्रार्थना पत्र राशि लंबित आबंटन	4	-	-
गैर चालू देयताएँ			
दीघ्र कालीन ऋण	5	23,75,203	23,75,203
चालू देयताएँ			
अल्पकालीन ऋण	6	16,03,78,231	16,03,78,231
भुगतानीय व्यापार	7	2,44,139	2,37,419
अन्य चालू देयताएँ	8	7,51,68,634	7,51,67,450
अल्पकालीन प्रावधानें	9	69,543	69,543
योग		**8,68,819**	**8,84,422**
परिसंपत्तियाँ			
गैर चालू परिसंपत्तियाँ			
स्थिर परिसंपत्तियाँ	10		
स्पष्ठ परिसंपत्तियाँ		4,20,438	4,20,438
अस्पष्ठ परिसंपत्तियाँ		-	-
गैर चालू निवेश	11	6	6
दीघ्र कालीन ऋण एवं अग्रीम	12	10,985	10,886
चालू परिसंपत्तियाँ			
माल सूचियाँ	13	74,867	75,219
प्राप्य व्यापार	14	52,653	52,661
नकद एवं बैंक शेष	15	37,371	52,556
अल्पकालीन ऋणे एवं अग्रीम	16	2,72,404	2,72,371
अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	17	95	285
योग		**8,68,819**	**8,84,422**
लेखो पर वित्तीय विवरण	1 से 32		
लेखाकरण नीतियाँ	33		

वि. विनयन
महाप्रबंधक - तकनीकी और इकाई प्रमुख प्रभार

एस गिरिष कुमार
निदेशक (वित्त) एवं अध्यक्ष सहं प्रबन्ध निदेशक

मदन पाल सिंह
निदेशक

कृते नरेश एंड को
सनदी लेखाकार
एफ आर एन 011239एस
एन रामलिंगम
सहयोगी
सदस्यता संख्या : 208992

स्थान : उटकमण्ड
दिनांक : 20.08.2020

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष की लाभ और हानि लेखा के विवरण

(रु हजार में)

ब्यौरे	अनुसूचियाँ	31.03.2020 को	31.03.2019 को
आय			
प्रचालनों से राजस्व	18	-	-
अन्य आय	19	2,341	3,924
कुल राजस्व		**2,341**	**3,924**
व्यय			
उपभूक्त सामग्री की लागत	20	64	(90)
व्यापार में स्टॉक का क्रय	21	-	-
तैयारी मालों की मालसूचीयों में परीवर्तन काम मेंप्रगति एवं व्यापार में स्टॉक	22	289	(586)
कर्मचारी हित व्यय	23	1,659	(2,463)
वित्त लागत	24	0	0
मूल्यह्रास /एमार्टाइशेषण का व्यय	25	0	0
अन्य व्यय	26	23,836	21,980
कुल व्यय		**25,848**	**18,841**
असाधारण मदें के पूर्व हानि		(23,507)	(14,917)
असाधारण मदें	27	-	4,471
साल के लिए हानि		(23,507)	(19,388)
जोडे(-)/घटाएँ (+) पुर्वावधि समायोजन (निवल)	28	-	-
तुलन पत्र को ली गयी निवल हानि		**(23,507)**	(19,388)
10/- (रुपयों में) अंकित मूल्य पर प्रति शेयर पर कमाई मूल और पतला	29	(0.11)	(0.09)
लेखों पर वित्तीय विवरण	1 से 32		
लेखाकरण नीतियाँ	33		

वि. विनयन
महाप्रबंधक - तकनीकी और इकाई प्रमुख प्रभार

एस गिरिष कुमार
निदेशक (वित्त) एवं अध्यक्ष सहं प्रबन्ध निदेशक

मदन पाल सिंह
निदेशक

कृते नरेश एंड को
सनदी लेखाकार
एफ आर एन 011239एस
एन रामलिंगम
सहयोगी
सदस्यता संख्या : 208992

स्थान : उटकमण्ड
दिनांक : 20.08.2020

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी सं लेखों पर टिप्पणियाँ:

1. **निगमित सूचना** :

मेसर्स हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यु कं लि,यथा एक सार्वजनिक उपक्रम ने कंपनियों का अधिनियम, 1956 के अधीन, कंपनियों के पंजीकार– मद्रास सहित 30 नवम्बर1960 को पंजीकरण संख्या.000379 (सी आई एन नं एल 33201 टी इजट 1960 भा स 000379) पंजीकृत किया है । कंपनी का पंजीकृत कार्यालय इन्दु नगर, उदगमण्डलम, नीलगिरि जिला, तमिलनाडु- 643 005 पर स्थित है ।

(रु हजारों में)

	ब्यौरे	31.03.2020 को	31.03.2019 को
2	**शेयर पूंजी**		
	प्रधिकृत शेयर पूंजी		
	10/-रुपये प्रत्येक के 210000000 ईक्विटी शेयर जारी, अभिदत्त और चुक्ता	21,00,000	21,00,000
	10/-रुपये प्रत्येक		
	पूर्ण चुकता 20,68,65,000 शेयरें (1,05,00,000 शेयर सहित जो सरकारी ऋण से पूर्ण चुकता ईक्विटी शेयर के रूप)	20,68,650	20,68,650
3	**आरक्षण एवं अधिशेष** :		
	पूंजी आरक्षण	0	0
	निर्यात लाभ आरक्षण	11	11
	बंध-पत्र प्रतिदान आरक्षित	2,21,121	2,21,121
	योग	2,21,132	2,21,132
	लाभ एवं हानि के विवरण		
	पिछले तुलनपत्र के अनुसार संतुलन	(23,96,33,206)	23,96,13,818)
	जोडेःसाल का हानि	(23,507)	(19,388)
		(23,96,56,713)	(23,96,33,206)
	योग	**(23,94,35,581)**	**(23,94,12,074)**
4	**शेयर प्रार्थना-पत्र लंबित राशि आबंटन शेयर पूंजी जमा**	0	0
5	**दीर्घ कालीन ऋणें**		
	रक्षित ऋण		
	दीर्घ कालीन ऋण		
	एच पी एफ बंध पत्र	12,11,103	12,11,103
	यू टी आई निधि के ब्याज पर ऋण	85,398	85,398
	पूरक ऋण	12,96,501	12,96,501
	बैंकों से	7,69,657	7,69,657
	डी पी जी ऋण –		
	भारतीय स्टेट बैंक	1,91,425	1,91,425

	असुरक्षित ऋण		
	कालीन ऋणें केनरा बैंक **बांड ब्याज ऋण**	8,648	8,648
	भारतीय स्टेट बैंक **बांड ब्याज ऋण**	1,08,972	1,08,972
	योग	**23,75,203**	**23,75,203**
6	**अल्प कालीन ऋणें**		
	सुरक्षित		
	नकद उधार बैंकों से		
	भारतीय स्टेट बैंक	13,70,815	13,70,815
	अर्जित ब्याज एवं बकाया	8,44,13,661	8,44,13,661
	इण्डियन ओवरसीस बैंक	2,39,464	2,39,464
	अर्जित ब्याज एवं बकाया	1,43,57,632	1,43,57,632
	सिंडिकेट बैंक	1,04,703	1,04,703
	अर्जित ब्याज एवं बकाया	81,30,768	81,30,768
	स्टेट बैंक आफ पटियाला	99,129	99,129
	अर्जित ब्याज एवं बकाया	57,89,731	57,89,731
	स्टेट बैंक आफ ट्रावनकोर	2,01,177	2,01,177
	अर्जित ब्याज एवं बकाया	85,78,389	85,78,389
	इण्डियन बैंक	20,085	20,085
	अर्जित ब्याज एवं बकाया	5,89,737	5,89,737
	केनरा बैंक	35,892	35,892
	अर्जित ब्याज एवं बकाया	35,45,976	35,45,976
	भा स्ट बै – इन्दु नगर	0	0
		12,74,77,159	**12,74,77,159**
	साख पत्र		
	केनरा बैंक	28,036	28,036
	अर्जित ब्याज एवं बकाया	28,30,847	28,30,847
	इण्डियन बैंक	15,556	15,556
	अर्जित ब्याज एवं बकाया	13,41,022	13,41,022
		42,15,460	**42,15,460**
	असुरक्षित		
	भारत सरकार ऋण	55,75,676	55,75,676
	सरकार ऋणों पर अर्जित ब्याज एवं बकाया	1,54,54,191	1,54,54,191
		2,10,29,867	**2,10,29,867**
	साख पत्र		
	सिटी बैंक	36,302	36,302
	अर्जित ब्याज एवं बकाया	5,76,190	5,76,190
		6,12,492	**6,12,492**
	इंटर कॉरपोरेट ऋण		
	मारुति उद्योग लिमिटेड, नई दिल्ली	50,000	50,000
	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, हैदराबाद	45,000	45,000

	कुद्रेमुख आयन ओर लिमिटेड, बैंगलोर	1,80,000	1,80,000
	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बैंगलोर	13,200	13,200
	पवन हंस हेलीकाप्टर लिमिटेड दिल्ली	72,500	72,500
	इंटर कॉर्प ऋण पर अर्जित ब्याज और देय	66,82,552	66,82,552
	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, हैदराबाद	**70,43,252**	**70,43,252**
	योग	**16,03,78,231**	**16,03,78,231**
7	**भुगतानीय व्यापार**		
	विविध लेनदार	1,88,251	1,81,513
	काम अनुबंध	24,086	24,104
	051 ए / सी (डी) में शेष ऋण	0	0
	052 ए / सी (डी) में शेष ऋण	0	0
	वेतन और मजदूरी सं। ए / सी देय	29,408	29,408
	वेतन और मजदूरी संख्या ॥ ए / सी देय	147	147
	एल टी ए / टी ए देय	2,247	2,247
	योग	**2,44,139**	**2,37,419**
8	**अन्य चालू देयताएँ**		
	ईसी पी एफ अनिवार्य योगदान	4,638	4,638
	ईसी पी एफ स्वैच्छिक योगदान	2,653	2,653
	ईसी पी एफ कंपनी का योगदान	10,874	10,874
	ईसी पी एफ ऋण और अग्रिम की वापसी	4,996	4,996
	मज़दूर कल्याण निधि	1	1
		23,162	**23,162**
	181 ए / सी (सी) में जमा राशि	6,658	6,658
	184 ए / सी (सी) में जमा राशि	9	9
		6,667	**6,667**
	लावारिस एच पी एफ बॉन्ड ए श्रृंखला और ब्याज	**3,596**	3,596
	अन्य खर्चों के लिए देयताएं	1,05,188	1,04,022
	एच पी एफ सहकारी भंडार	0	0
	सहकारी बहाव और ऋण समिति	1,512	1,512
	वेतन और मजदूरी – एल आई सी प्रीमियम वसूली	0	0
	वेतन और मजदूरी – आयकर	0	0
	वेतन और मजदूरी - डाकघर सी टी डी / आर डी	0	0
	वेतन और मजदूरी - स्टाफ क्लब	0	0
	वेतन और मजदूरी - अन्य वसूलियां	147	147
	कार्य ठेकेदारों से सुरक्षा जमा	4,268	4,585
	आपूर्तिकर्ताओं से सुरक्षा जमा	18	18
	ई एम डी	4,562	4,526
	अन्य लोग से जमा	1,251	1,068

	सी एस टी वसूलियां	0	0
	एस एस टी वसूलियां	1,945	1,945
	कैंटीन कूपन नियंत्रण खाता	49	49
	एस टी वसूलियां पर एस सी	0	0
	आई टी वसूलियां	11,51,008	11,50,892
	जमा खाते पर ऋण	0	0
		12,69,949	**12,68,764**
	ब्याज अर्जित लेकिन सरकारी ऋण पर देय नहीं	37,111	37,111
	ब्याज अर्जित और देय -एच पी एफ बंध पत्र पर	46,62,506	46,62,506
	ब्याज अर्जित और देय –यूटीआई पोषित ऋण पर	4,99,328	4,99,328
	ब्याज अर्जित और देय- ब्रिज ऋण पर	4,86,06,208	4,86,06,208
	ब्याज अर्जित और देय- डी पी जी ऋण पर	1,18,29,803	1,18,29,803
	ब्याज अर्जित और देय - टर्म लोन कैनरा बैंक	14,18,541	14,18,541
	ब्याज अर्जित और देय - टर्म लोन एस बी आई	68,11,764	68,11,764
		7,38,28,149	**7,38,28,149**
	इण्डियन बैंक ओडी	0	0
	योग	**7,51,68,634**	**7,51,67,450**
9	**अल्पकालीन प्रावधानें**		
	आकस्मिक व्यय के लिए प्रावधान	14,073	14,073
	छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	55,470	55,470
	योग	**69,543**	**69,543**

10. स्थिर परिसंपत्तियॉं (रुपये हजार में)

ब्यौरे	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास/एमार्टाइशेषण			निवल ब्लॉक	
	1-04-2019 को	वृद्धि 2019-20	कटौतीयॉं 2019-20	31.03.2020 को	1.04.2019 को	2019-20 साल के लिए	31.03.2020 को	31.03.2020 को	31.03.2019 को
भूमि पूर्ण स्वामित्व में व पट्टे पर	1,118	0	0	1,118	0	0	0	1,118	1,118
सडक एवं पहुँच मार्ग	2,554	0	0	2,554	1,196	0	1,196	1,358	1,358
भवन	2,49,369	0	0	2,49,369	1,81,539	0	1,81,539	67,830	67,830
विद्युत संस्थापन	1,49,516	0	0	1,49,516	1,39,896	0	1,39,896	9,620	9,620
संयंत्र और मशीनरी	66,27,606	0	0	66,27,606	62,96,242	0	62,96,242	3,31,364	3,31,364
प्रयोगशाला उपकरण	31,341	0	0	31,341	27,312	0	27,312	4,029	4,029
कार्यालय उपकरण	26,612	0	0	26,612	25,024	0	25,024	1,588	1,588
जल कार्य	58,561	0	0	58,561	55,633	0	55,633	2,928	2,928
फर्नीचर, जडनार और फिटिंग्स	6,008	0	0	6,008	5,671	0	5,671	337	337
मोटर वाहन	5,074	0	0	5,074	4,808	0	4,808	266	266
चालू वर्ष का समग्र जोड़	71,57,759	0	0	71,57,759	67,37,321	0	67,37,321	4,20,438	4,20,438
पिछले वर्ष का समग्र जोड़	71,57,759	0	0	71,57,759	67,37,321	0	67,37,321	4,20,438	4,20,438

11	**गैर चालू निवेश**		
	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स कर्मचारी के सहकारी भण्डार का शेयर	6	6
	योग	**6**	**6**

12	**दीर्घ कालीन ऋणें एवं अग्रीम**		
	कर्मचारियोंके लिए अन्य विविध अग्रिमों	8,288	8,288
	स्त्रोतों पर कटौती किये गये कर	2,697	2,598
	योग	**10,985**	**10,886**
13	**मलसूचियॉ**		
	भण्डार और पुज	56,368	56,368
	प्रिंटिंग व स्टेशनरी	188	188
	निर्बध औजार	2	2
	कच्ची सामग्रियॉ	70,828	70,828
	प्रक्रिया भण्डार	10,690	10,979
	तैयार माल	0	0
	प्राप्य रद्दी	3,636	3,700
		1,41,713	**1,42,065**
	घटाऍं : अप्रयुक्त /अधिशेष के लिए प्रावधान		
	भण्डार और पुर्जे	41,517	41,517
	कच्ची सामग्रियॉ	25,329	25,329
	तैयार माल	0	0
		66,846	66,846
	योग	**74, 867**	**75, 219**
14	**प्राप्य व्यापार**		
	विविध देनदार	1,33,557	1,33,557
	अन्य विविध देनदार	1,593	1,601
	टी एस सी देनदार	372	372
	फोटोमेंशन	7	7
	देनदारों में जमा राशि	0	0
	181 में जमा राशि (सी)	6,658	6,658
	184 में जमा राशि (सी)	9	9
		1,42,196	**1,42,204**
	खराब / संदिग्ध ऋण के लिए कम प्रावधान	89,543	89,543
	योग	**52,653**	**52,661**
15	**नकद और बैंक संतुलन**		
	हाथ पर नकद, चेक और टिकट	0	0
	रक़म नकद- कोयंबटूर	2	2
	रक़म नकद अधिकारी	0	0
	रक़म नकद- ऊटी	22	27
	रक़म नकद-मद्रास	1	1
	रक़म नकद- मुंबई	0	0
	रक़म नकद- कोलकाता	2	2
	रक़म नकद- दिल्ली	13	13

रक़म नकद- बैंगलोर	1	1
रक़म नकद- हैदराबाद	2	2
क्षुद्र नकद पॉन्डिचेरी	0	0
रक़म नकद- चंडीगढ़	0	0
रक़म नकद- भोपाल	0	0
रक़म नकद- अंबात्तुर	35	35
	78	**82**
पारगमन में प्रेषण	0	0
मौजूदा खातों में अनुसूचित बैंकों के साथ शेष राशि	0	0
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया संख्या 1 लेखा-- चंडीगढ़	0	0
पंजाब नेशनल बैंक- चेनै	0	0
आइ ओ बी संख्या 1 लेखा- हैदराबाद	33	33
इण्डियन बैंक बंदरगाह शाखा- चेनै	13	13
भारत का केंद्रीय बैंक- ऊटी	1,750	1,010
ऐक्सिस बैंक- ऊटी	56	56
भारत का केंद्रीय बैंक- कोयंबटूर	0	0
भारत का केंद्रीय बैंक- कोचीन	0	0
भारत का केंद्रीय बैंक- मुंबई	0	0
भारत का केंद्रीय बैंक- पॉन्डिचेरी	0	0
सी आई टी आई बैंक- चेनै	97	97
भारत का केंद्रीय बैंक- पटना	0	0
भारत का केंद्रीय बैंक- भोपाल	0	0
भारत का केंद्रीय बैंक- बैंगलोर	8	8
भारत का केंद्रीय बैंक-गुवाहाटी	5	5
भारत का केंद्रीय बैंक- कानपुर	24	24
भारत का केंद्रीय बैंक- नई दिल्ली	0	0
भारत का केंद्रीय बैंक- कोलकाता	0	0
सिंडिकेट बैंक चालू खाता- ऊटी	19	20
इण्डियन बैंक – पाडी	7	7
इण्डियन बैंक – ऊटी	159	35
इण्डियन बैंक एलसी पर मार्जिन	0	0
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया संख्या 2 लेखा- अंबत्तुर	0	0
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया संख्या 2 लेखा–चंडीगढ़	0	0
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया संख्या 2 लेखा–जयपुर	18	18
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया संख्या 2 लेखा–पॉन्डिचेरी	10	10
एसबीआई इंडुनगर बॉन्ड ब्याज खाता	0	0
इंडियन बैंक – वडापालानी	0	0
एफडी प्रिंसिपल वारंट खाता	0	0
एस बी आई इंडुनगर	386	880

	एस बी टी – ऊटी	11	179
	एसबीपी – चेनै	0	0
	एस बी आई इंडुनगर बॉन्ड खाता	0	0
	टर्मिनल लाभ स्टेव बैंक ऑफ इंडिया लेखा	6	9
	टर्मिनल लाभ इंडियन बैंक लेखा	28	28
		2,630	**2,430**
	बैंक के साथ सावधि जमा	**34,663**	**50,043**
	योग	**37,371**	**52,556**
16	अल्प कालीन ऋण एवं अग्रीम		
	दावा वसूली योग्य	2,55,988	2,55,988
	चिकित्सा अग्रिम	0	0
	उत्सव अग्रिम	0	0
	भुगतान अग्रिम	2,52,955	2,52,955
	यात्रा अग्रिम	0	0
	फर्नीचर अग्रिम	0	0
	मोडवाट श्रेय	48	48
	आपूर्तिकर्ताओं के लिए अग्रिम	2,146	2,146
	दूसरों के लिए अग्रिम	60	60
	चुंगी और अन्य प्राप्तिया	2,801	2,801
	अन्य विविध वसूली योग्य	5,469	5,469
	सुरक्षा जमा पर ब्याज	94	65
	094 ए / सी (सी) में शेष ऋण	0	0
	051 ए / सी (डी) में शेष ऋण	0	0
	052 ए / सी (डी) में शेष ऋण	0	0
		2,63,573	**2,63,544**
	सीमा शुल्क के साथ जमा	10	10
	चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट के साथ जमा	30	30
	केंद्रीय उत्पाद शुल्क के साथ जमा	9	9
		48	**48**
	पूर्वदात खर्चे	**0**	**0**
	बिजली बोर्ड के साथ जमा	6,444	6,435
	टेलीफोन विभाग के साथ जमा	102	102
	अन्य के साथ जमा	4,698	4,703
	एयर कार्गो, चेन्नई के साथ जमा	5	5
		11,248	**11,244**
	योग	**5,30,857**	**5,30,824**
	कम; वसूली के संदिग्ध के लिए प्रावधान	2,58,453	2,58,453
		2,72,404	**2,72,371**

17	**अन्य मौजूदा परिसंपत्तियों**		
	जमा पर अर्जित ब्याज	95	285
18	**प्रचालनों से राजस्व**		
	वापसी विक्रय घटाकर	0	0
	घटाएँ : उत्पाद शुल्क/सी वी डी	0	0
	योग	**0**	**0**
19	**अन्य आय**		
	नौकरी आदेश आय	0	0
	बीमा दावा	0	0
	अन्य सैंड्री रसीदें	744	142
	सब्सिडी वाले परिवहन से आय	0	0
	सीमा शुल्क पर मोडवाट श्रेय	0	0
	क्रेडिट शेष अब देय नहीं है	0	0
	उतार चढ़ाव अंतर एक्सचेंज	0	0
	टाउनशिप पानी रसीदें	0	0
	मोडवाट रसीदें	0	0
	बिजली कर वापसी	0	0
	इंट्रा यूनिट- परिवहन	0	0
	अन्य नुकसान भरपाई रसीदें	0	0
		744	**142**
	ब्याज रसीदें – बैंक	880	3,068
	ब्याज रसीदें – कर्मचारी	0	0
	ब्याज रसीदें – बैंक	32	46
		912	**3,114**
	टाउनशिप किराया रसीदें	685	668
	प्रावधानों आवश्य नहीं है जो वापस लिखे	0	0
	योग	**2,341**	**3,924**
20	**उपभुक्त सामग्री की लागत**		
	कच्चे माल का अथ स्टॉक	70,828	70,828
	विदेशी खरीद – एफओबी	0	0
	विदेशी खरीद पर समुद्री माल	0	0
	खरीद सी और ए	0	0
	विदेशी खरीद पर बीमा	0	0
	विदेशी खरीदें – सी एंड एफ	0	0
	विदेशी खरीद पर बैंक शुल्क	0	0
	विदेशी खरीद पर सीमा शुल्क	0	0

	कार्गो स्कना	0	0
	विदेशी खरीद पर शुल्क संभालना	0	0
	निकासी अभिकर्ता दलाली - विदेशी खरीद	0	0
	विदेशी खरीद पर लॉरी भाड़ा	0	0
	विदेशी खरीद पर अन्य खर्च	0	0
	स्वदेशी खरीदो	0	0
	रेलवे माल ढुलाई	0	0
	स्वदेशी खरीद पर लॉरी भाड़ा	0	0
	स्वदेशी खरीद पर अन्य खर्च	0	0
	स्वदेशी खरीद पर एयर भाड़ा	0	0
	पारगमन में सामान – आयातित	0	0
	पारगमन में सामान - स्वदेशी कच्चे माल	0	0
	पारगमन में सामान - स्वदेशी अन्य वस्तुओं	0	0
		70,828	70,828
	कम: कच्चे माल का आखरी स्टॉक	70,828	70,828
		0	0
	पुनः सुधार योग्य रद्दी माल में (-) / घटाएं (+) बढ़ाएं	64	(90)
		64	**(90)**
	भंडार और पुर्जो खपत	0	0
	योग	**64**	**(90)**
21	**व्यापार में स्टॉक की खरीद (बी ओ आई)**		
	आरंभिक स्टॉक	0	0
	जोड़ें: खरीद	0	0
	कम :बंद स्टॉक	0	0
	योग	**0**	**0**

22 तैयारी मालों की मालसूचीयॉ, प्रगति में स्टॉकऔर व्यापार में स्टॉक में परिवर्तन

अथ स्टॉक		
तैयार माल	0	0
प्रगति में स्टॉक	10,979	10,393
	10,979	10,393
आखरी बचा हुआ माल		
तैयार माल	0	0
प्रगति में स्टॉक	10,690	10,979
	10,690	10,979
स्टॉक में वृद्धि / - कमी	289	(586)

23	**कर्मचारी हित व्यय**		
	वेतन और भत्ते	2,146	(6,796)
	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	89	0
	एन एम आर कर्मचारी मजदूरी	0	0
	वेतन और भत्ते कर्मचारियों	0	0
	वेतन और भत्ते अधिकारी	0	0
	वेतन और भत्ते निदेशकों	0	0
	अनुग्रहपूर्वक	0	0
	कामगार क्षतिपूर्ति	0	0
	बोनस	0	3,820
	छुट्टी का नकद	0	0
		2235	(2976)
	भविष्य निधि में योगदान	0	0
	ग्रैच्युइटी	0	444
	समूह बीमा योजना में योगदान	0	0
	ई एस आई में योगदान	0	0
	कैंटीन खर्च	0	0
	कल्याण संगठन के लिए सब्सिडी	0	8
	शिक्षा और प्रशिक्षण	0	0
	इंट्रा यूनिट व्यय अतिथि गृह / कैंटीन एक्सप	(576)	61
	अन्य कल्याण व्यय	0	0
		(576)	68
	योग	1,659	(2,463)
	आर एंड डी व्यय में कम हस्तांतरित	0	0
		1,659	**(2,463)**
24	**वित्त लागत**		
	सरकार ऋण पर ब्याज	0	0
	बैंक लेनदारों पर ब्याज	0	0
	एच पी एफ बॉन्ड ब्याज	0	0
	यू टी आई वित्त पोषित ब्याज ऋण ब्याज	0	0
	अन्य वस्तुओं पर ब्याज	0	0
	अंतर कॉर्पोरेट जमा पर ब्याज	0	0
	ब्रिज ऋण ब्याज	0	0
	एस बी आई डी पी जी ऋण ब्याज	0	0
	केनरा बैंक बांड ब्याज ऋण	0	0
	एस बी आई बॉण्ड ब्याज ऋण	0	0
	योग	0	0

25	**मूल्यह्रास और एमार्टइशेषन खर्च**		
	भवन पर मूल्यह्रास	0	0
	संयंत्र और मशीनरी पर मूल्यह्रास	0	0
	अन्य संपत्तियों पर मूल्यह्रास	0	0
	योग	0	0
26	**अन्य खर्चे**		
	बिजली और ईंधन	1,199	2,952
	मरम्मत और अनुरक्षण		
	भवन	18	0
	संयंत्र और मशीनरी	2	224
	अन्य संपत्तियां	10,180	8,687
	मोटर वाहन का अनुरक्षण	115	189
		10,315	9,100
	किराया	0	0
	लीज किराया परियोजना	1,193	1,193
	बीमा		
	भवन	170	159
	संयंत्र और मशीनरी	0	0
	वाहन	9	8
	भण्डार	0	0
	अन्य	0	0
		179	166
	दरें और कर		
	वाहनों पर कर और शुल्क	0	0
	भवन पर कर	0	0
	अन्य कर और शुल्क	246	352
		246	352
	यात्रा और परिवहन		
	यात्रा खर्च – अन्य	380	371
	यात्रा खर्च – निदेशक	470	513
		850	884
	प्रशासनिक और कार्यालय के खर्च		
	प्रयोगशाला खर्च	0	0
	डाक	17	22
	मुद्रण और लेखन सामग्री	48	59
	टेलिक्स	0	0
	टेलीफोन	74	95
		139	176

लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक	225	66
निदेशक बैठक शुल्क	45	9
विविध व्यय		
बैंक प्रभार		
किताबें, पत्रिकाओं इत्यादि	9	7
मनोरंजन व्यय	0	0
कानूनी और पेशेवर शुल्क	31	94
अन्य विविध खर्च	2,134	2,199
मनोरंजन भत्ता – एमडी	519	323
लिखी गई विविध डेबिट ऋण	62	0
व्यापार और अन्य संग के लिए सदस्यता	0	0
दान	0	0
विनिमय दर अंतर	0	0
	6,674	4,432
	9,429	**7,054**
संदिग्ध ऋण और अग्रिम के लिए प्रावधान	0	0
आकस्मिकताओं और जुनून के लिए प्रावधान	0	0
विज्ञापन और प्रचार		
निविदाओं के लिए विज्ञापन	14	27
भर्ती के लिए विज्ञापन	0	0
बिक्री के लिए विज्ञापन	0	0
अन्य प्रयोजनों के लिए विज्ञापन	0	0
प्रदर्शनी और दुकान	0	0
	14	27
बिक्री का खर्च		
बिक्री पर एजेंसी कमीशन	0	0
मुफ्त नमूना	0	0
पैकिंग और अग्रेषण शुल्क	0	0
बिक्री पर रेलवे माल ढुलाई	0	0
बिक्री पर लॉरी फ्रेट	0	0
बिक्री पर ऑक्टोई	0	0
बिक्री पर अन्य शुल्क	0	0
बिक्री पर एयर फ्रेट	0	0
आंतरिक खपत के लिए सामग्री	0	0
आर एंड डी व्यय	**0**	**0**
योग	23,836	21,980
कम: आर एंड डी व्यय में स्थानांतरित	0	0
	23,836	**21,980**

27	**असाधारण मदें**		
	वी आ एस भुगतान	0	4,471
28	**पूर्वावधि समायोजन (नेट)**		
	ब्याज	0	0
	अन्य लागत	0	0
	आय, खाते के वर्ष से संबंधित नहीं	0	0
29	**प्रति शेयर आय**		
	कर के बाद निवल लाभ / (हानि) (हजारों में)	(23,507)	(19,388)
	बेसिक डाइलुयेटेड ई पी एस (सं) के लिए वजन किये औसत / ईक्विटी शेयरों की सं	20,68,65,000	20,68,65,000
	ईक्विटी प्रति शेयरों की साधारण मूल्य (रुपयों में)	10	10
	प्रति शेयर बेसिक डाइलुयेटेड कमाई (रुपयों में)	(0.11)	(0.09)

30. 31 मार्च 2020को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ :

1. **आकस्मिक देयताएँ :**

i)कंपनी के विरुद्ध माँगे ऋण नही माने गये हैं क्योंकि वे अपील के अधीन है ।पूर्व वर्षों के लिए नगर पालिका कर 5.34 लाख रु (5.34 लाख रु)

ii) अन्यान्य : (रु लाखों में)

क	भारत सरकार मिण्ट से खरीदे सिल्वर पर विक्रय कर	297.46	गत वर्ष 297.46
ख	कुंज बिहारी शॉंगी स्टाक्स्टि से किये दावा जिसे ऋण नही माना गया	160.49	गत वर्ष 160.49
ग	सरकार मिण्ट - ओडी ब्याज	2476.61	गत वर्ष 2372.62
घ	हिन्दुस्तान जिंक - ओडी ब्याज	4018.16	गत वर्ष 3874.19
	योग	**6952.72**	गत वर्ष **6704.76**

iii) मेसर्स ब्लू स्टॉर लिमिटेड के 569.06 लाख रु दावे और कंपनी के 248.36 लाख रु के प्रति दावे के आगे माध्यस्थ्य अनिधिर्णय समझौता था कि कंपनी मेसर्स ब्लू स्टॉर लिमिटेड को 569.06 लाख रु भुगतान करेगी और मेसर्स ब्लू स्टॉर लिमिटेड से 25.91 लाख रु प्राप्त करेगी। 31.03.07 के अनुसार कंपनी को 543.15 लाख रु की निवल राशि भुगतानीय थी। आदेश के बनाम कंपनी की अपील मद्रास उच्च नयायालय और सर्वोच्च न्यायालय मे रद्द हो चुका थी। आदेश के आधार पर अब तक कंपनी ने आगे दावा नही किया ।

2. पूंजी लेखों पर किये जाने के लिए अनुमानित ठेके पर बकाया कार्य जिसके लिए पूंजी प्रावधान नही किया है शून्य रु (गत वर्ष शून्य रु)

3. बाण्ड जारी करने के मार्गदर्शन/शर्तों के अनुसार कंपनी को प्रतिदान प्रारंभ होने से पूर्व, जारी किए बाण्ड की राशि के 50% के समकक्ष बाण्ड प्रतिदान आरक्षण करना था । हानि के कारण कंपनी अपेक्षित आरक्षण सृजित न कर सकी ।

4. कंपनी के पास तमिलनाडु सरकार से नियत की गयी मुफ्त 173.16 एकड की भूमि है । इसके अतिरिक्त कंपनी ने 1989 तक के लिए तमिलनाडु सरकार से मुफ्त पट्टे पर 28.01 एकड भूमि ली है और मुफ्त पट्टा के नवीकरण के लिए तमिलनाडु सरकार से आवश्यक आवेदन दाखिल किया है, इसके अतिरिक्त आदेश सं जी ओ एम सं 95 दि 12.02.1987 के द्वारा कंपनी को विस्तार परियोजना के निर्माण के लिए, तमिलनाडु सरकार से 90 एकड (लगभग 36 हेक्टेयर) **जमीन, 120 एकड़ जमीन आत्मसमर्पण करके** पट्टे पर **ले लिया है।** किसी तीसरी पार्टी को देने के लिए तमिलनाडु सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता है।

कंपनी को जिला वन अधिकारी से दिनांकित 23/10/2019 से एक पत्र मिला था जिसमें निर्देश दिया गया था कि एचपीएफ के कब्जे में 303.30 एकड़ वन भूमि 10 दिनों के अंदर वन विभाग को सौंप दी जाए। कंपनी के वकीलके पत्र के माध्यम से कंपनी ने जवाब दिया था कि कंपनी के समापन के लिए कंपनी की याचिका अदालत में विचाराधीन था, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष में 80% अग्रिम वसूली से संबंधित समस्या लंबित थी और इसलिए भूमि की बहाली करने के कोई कार्रवाई इस मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए अवक्षेपण होगा। डी एफ ओ से दिसंबर 2019 तक कार्यवाही को यथावत रखने का अनुरोध किया गया था, इस समय तक, मुद्दे पर अंतिम फैसला होने की उम्मीद थी।

एक और पत्र दिनांकित 19.02.2020 नीलगिरी जिला कलेक्टर से प्राप्त हुआ (05.05.2020 को सी एम डी द्वारा प्राप्त), कार्यवाही को सूचित करते हुए कि पूरी 292.71 एकड़ वन भूमि जो मूल रूप से एचपीएफ को सौंपा गया, दुबारा वन विभाग को सौंप दिया गया। इसमें से 25 एकड़वन भूमि, नए सरकारी मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए पहचान की गई थी।कंपनी द्वारा वन विभाग को भूमि बहाली के विरोध के बावजूद,10/07/2020 को, तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री ने मेडिकल कॉलेजके लिए आधारशिला रखी और और निर्माण कार्य शुरू हो गए हैं।एन सी एल टी से निर्णय आने तक प्रतीक्षा करने का कंपनी का अनुरोध बेकार हो गया। हालांकि, भारी उद्योग विभाग के निर्देशों के आधार पर, एक रिट याचिका डब्ल्यू पी 9566 / 2020 भूमि बहाली के खिलाफ दायर की गई थी और मेडिकल कॉलेज के कामों पर स्टे लगाना की। कोर्ट ने 22/07/2020 को राज्य सरकार द्वारा काउंटर दायर करने के लिए मामले को स्थगित कर दिया, लेकिन कामों का रोक देने से इनकार कर दिया। साइट पर निर्माण कार्य प्रगति पर है।

5. मार्गस्थ सामग्री में - शून्य रु (गत साल शून्य रु)।

6. माल सूची में प्रतिबिम्बित एस क्यू सी तकनीकों के द्वारा कंपनी के गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला में 'पुनर्प्राप्य अपशेष सामग्री' के अंतर्गत शामिल स्लड्ज जैसी चाँदी वाली सामग्री में चाँदी की मात्रा का निर्धारण किया जाता है ।

7. भासऋण से असुरक्षित ऋण – अंतर निगमित जमाएँ, विविध लेनदार, "ऋण और अग्रिम", विविध देनदार","चालू देयताएँ" आदि के शेष पुष्टि के अधीन है ।

8. 31.03.2020 के अनुसार 440.87करोड रु प्रधान राशि ऋणें एवं 23100.55 करोड रुपये अर्जित ब्याज की राशि जोड़कर 23541.42 करोड़ रुपये सरक्षित की गयी है जिसमें 538.13 करोड़ रुपये में, 486.85 करोड रापये स्थिर परिसंपत्तियॉ (1997 मार्किट मूल्यांकन के आधार पर) एवं 51.28 करोड़ रुपये चालू परिसंपत्तियॉ सम्मिलत है ।

9. दिनांक 6 नवम्बर 1987 को विवरणिका की शर्तों के अनुसार जारी 1000/- रु प्रति के 13%वाले रक्षित प्रतिदेय अपरिवर्तनीय बाण्ड (अ श्रृंखला) कंपनी की अचल और चल दोनों प्रकार की वर्तमान और कल की संपत्तियॉ की जहॉ भी हो, जिसमें स्थिर संयंत्र व मशीनरी और प्रथम प्रकार भी शामिल है । (बही ऋण के अलावा व उन्को छोडकर) ट्रस्टी के रूप में मेसर्स केनरा बैंक को संतोषप्रद और बंधक, द्वारा रक्षित किया गया है ।

   बशर्ते कि, बंधक / प्रभार, कच्ची सामग्रियों अर्ध तैयार माल के स्टॉक व्यापार के दौरान कार्यशील पूंजी की आवश्कताओं के लिए उधार प्राप्त करने के लिए उपभोगित भण्डार पर कंपनी के बैकरों के नाम पूर्व प्रभार और /या किये जानेवाले प्रभार के अधीन होंगे ।

   बंधधारक, कैनरा बैंक के न्यासियों के साथ अन्य स्थित संपत्तियों पर प्रभार सहित विदेशी मुद्रा ऋण सू अर्जित संयंत्र व मशीनरी पर भारतीय स्टेट बैंक, सिंगपुर से प्राप्त ऋण के लिए गारंटी कर्ता-भारतीय स्टेट बैंक समुद्रपारीय शाखा मद्रास को प्रथम प्रभार सौप दिया है । डी पी जी ऋण के रूप में विदेशी मुद्रा ऋण परिवर्तित किया गया था । **केनरा बैंक, ने सभी सुरक्षित लेनदारों की ओर से एस ए आर एफ ए ए ई एस ऐ अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू की है, और अंबत्तूर,** चेनै **में कंपनी की संपत्ति पर कब्जा करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट (तिरुवल्लूर,** चेनै) **से संपर्क किया है। हालांकि, कब्जे के लिए आवेदन जिला प्रशासन द्वारा तकनीकी आधार पर निपटाया गया है ।**

   जनता से बाण्ड के लिए 88करोड रु प्राप्त हुए तथा नियंत्रण पूंजी निर्गम की सामति से यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया के पास निजि रूप से रखने से 40 करोड रुपये प्राप्त हुए आबंटन की तारीख अर्थात् 30.01.1988 से 7वर्षों के बाद ये बाण्ड सममूल्य पर प्रतिदेय होंगी और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया ने 45 करोड रुपयों के लिए बढायी गयी अवधि के लिए प्रति साल 18% ब्याज की दर सहित प्रतिदान की तारीख को 30.01.1998 तक बढा दिया है ।वित्तीय संस्थानात्मक बाण्ड होल्डर्स/यू टी आई सहित बकाया प्रबन्ध के लिए, इन बंध पत्रों पर ब्याज की राशि परिपक्वता तारीख के बाद मूल ठेके के 13प्रतिशत /18 प्रतिशत के दर पर मामले के अनुसार प्रभारित की गयी ।

   चूंकि हि फो फि बंध पत्र 'अ' श्रृंखला की मान्यता तिथि 29.01.95 को समाप्त हुई, कंपनी नें प्रत्येक बंध धारकों को 6.08 करोड रुपयों तक प्रतिदान करने का प्रस्ताव किया जिसमें से 31 मार्च 2016 तक 5.88 करोड रु (गत साल 5.88 करोड रु) का प्रतिदान किया गया।अतीत **हाल में** कोई प्रतिदान नही किया ।

10. स्वै से नि योजना के अधीन प्रतिपूर्ति और अन्य संबंधित भुगतानें असाधारण मदे का अभ्यावेदन करती है ।

11. **कंपनी मद्रास के माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों और निर्देशों के तहत वैधानिक रूप से बंद होने की प्रक्रिया में है।**
    कंपनी को 23.01.1996 बीमार घोषित किया गया था, और 30.01.2003 को बी आई एफ आर द्वारा बंद करने की सिफारिश की गई थी। बी आई एफ आर की यह सिफारिश को और कानूनी कार्यवाही के लिए मद्रास के माननीय उच्च न्यायालय को भेज दी गई । उपरोक्त सिफारिश को मद्रास के माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांकित 29.08.2016 को स्वीकार कर लिया, जिससे बी आई एफ आर सिफारिश के खिलाफ सभी याचिकाएं यदि कोई हैं, तो उन्हें खारिज कर दिया गया या निस्तारण कर दिया गया। इसके अलावा, मद्रास के माननीय उच्च न्यायालय, ने आदेश दिनांकित 08.09.2017 आधिकारिक परिसमापक को संपत्ति का प्रभार लेने का और कंपनी के रिकॉर्ड की पुस्तकों की जांच करने और प्राथमिकता के अनुसार आवश्यक संवितरण करने की सलाह दी है । इस संबंध में आगे की कार्यवाही मद्रास के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रगति पर हैं।

    इसी बीच, भारत सरकार ने मार्च 2014 के दौरान ,कंपनी के सभी कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की पेशकश करने और कंपनी को बंद करने के लिए आगे की कार्रवाई करने के निर्णय अवगत करा दिया था। सभी उत्पादन-संयंत्र पहले ही बंद हो चुके थे और जून 2013 से उत्पादन गतिविधियाँ नहीं हुई हैं। कंपनी के सभी कर्मचारियों को विभिन्न चरणों में 30.06.2016 या उससे पहले उक्त वी आर योजना के अनुसार वी आर एस पर राहत दी गई है।

आज की तारीख में कंपनी के रोल पर कोई कर्मचारी नहीं है। एक और सी पी एस ई से प्रतिनियुक्ति केवल एक ही अधिकारी हैं जो आधिकारिक परिसमापक, कंपनी के कार्यभार संभालने तक ,कंपनी के संपत्ति के संरक्षण और रखरखाव की देखरेख कर रहा है। आधिकारिक परिसमापक द्वारा संपत्ति और देनदारियों और कंपनी के रिकॉर्ड की किताबें का अधिग्रहण प्रतीक्षित था । इसी बीच मेसर्स कैनरा बैंक ने मद्रास उच्च न्यायालय में कंपनी एप्लीकेशन नंबर .429 / 2020 से कंपनी याचिका संख्या सी पी 114 / 2003 को एन सी एल टी स्थानांतरित करने के लिए संपर्क किया है । 18.05.2020 को, माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया, जिसमें कंपनी की याचिका सी पी .114 / 2003 को एन सी एल टी को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया गया। कंपनी याचिका सी पी 114 / 2003 को एन सी एल टी को हस्तांतरित करना, एन सी एल टी के विचार में नहीं आया है क्योंकि, कंपनी के आवेदन पत्र सी .ए 429/2019, दिनांकित 18/5/2020 का आदेश की प्रमाणित प्रति अभी तक जारी नहीं किया गया है ।

12. मेसर्स मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय में कंपनी के बनाम दायर की गयी याचिका उच्च न्यायालय से निलंबित की गयी क्योंकि कंपनी बी आई एफ आर को संदर्भित की गयी है ।

13. कर्मचारी सुविधाएँ :
31.03.2020 के अनुसार हि फो फि के क अं भ नि को 231.61 लाख रु (गत साल 231.61 लाख रु) की राशि है । **ट्रस्ट को वर्ष के दौरान कोई राशि का भुगतान नहीं किया गया था।**

14. स्थिर परिसंपत्तियों पर, वार्षिक बीमा प्रिमियम का भुगतान और **बीमा द्वारा** आवृत **किया गया है।**

15. (क)1975 से 1992 की अवधि के लिए एच पी एफ़ से फाइल किये विभिन्न केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के वापसी दावें इस आधर पर है कि कट्टिंग, स्लिटिग और जम्बोस विनिर्माण प्रक्रिया नही हैं । इस संबंध में 49.79 करोड रुपये की राशि जो एच पी एफ द्वारा भुगतान किये शुल्क छित्र पर वापसी दावें मूल राशि हैं जिस पर सी ई 1944 के अधिनियम के उपधारा 2(एफ़)के अधीन अनुमति दी गई हैं । सरकारी निकायों के बीच अपीलों को निपटाने के लिए भारत सरकार (भास) उच्च शक्ति समिति द्वारा है अर्थात् समस्यों की समितियाँ (सीओडी), ने मामले की सुनवाई करने के बाद, अपने समादेश सं सी ओ डी 55/2007 दि 09.01.2008 के कार्यवृत्त पर कंपनी को सी ई एस टी ए टी के सामाने मामला प्रस्तुत करने की अनुमति दी । कंपनी ने अन्यायपूर्व सवंर्धन के प्रश्न पर अपेक्षित कागजों को फाइल किया है और मामला बोर्ड मे ऊपर है और चेन्नै सी ई एस टी ए टी (बेंच) के सामने अंतिम सुनवाई के लिए लिस्टड़ है । यह मामला 10.02.2011 को सी ई एस टी ए टी से सुनवायी हुई और कंपनी के दावा समादेश सं 395-398/11, 4.3.2011 को खारीज करते हुए आदेश जारी कर दिया ।मद्रास उच्च न्यायालय में कंपनी ने समादेश सं 25131 दि 27.9.2011 का अपील फाइल किया है।

चूंकि देय राशि अन्यायपूर्व संवर्धन के सिद्धांतों में लागू नही होगा धन की वापसी दावा राशि देय है और सरकार से अपेक्षित है, । धन की वापसी फ़ाइल करते समय से कंपनी का दृढ़ विचार है कि देय राशि भारत सरकार से प्राप्त होनी चाहिए । केन्द्रीय उत्पाद विभाग के समादेश अपील सं145/97 दि 30.09.1997 के अधीन अन्य धन की वापसी दावों के बनाम कंपनी को 5.6 करोड़ रुपये की राशि संस्वीकृत करके दी गई ।

(ख) आर एल सी, मदुरै के आदेश, 2007 के ग्रेच्युटी के भुगतान के संबंध में , कंपनी ने आर एल सी, मदुरै के आदेश के खिलाफ डी सी एल सी, चेनै **के समक्ष अपील दायर की है । यह अपील दावा राशि न ज़माने और व्यक्तिगत अपीलों को न भरने के कारण वापस कर दिया गया था। डी सी एल सी की कार्रवाई के खिलाफ, मद्रास के माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट दायर की गई है।**

16. क) स्थिर परिसंपत्तियों में शामिल कुछ संयंत्र व मशीनरी 5.13 लाख रु (गत साल 5.13 लाख रु) है को जिनकी अभी आवश्यकता नही है, निपटाने के लिए रखे हुए जिनका प्राप्य मूल्य निश्चित नही किया जा सकता ।

ख) पॉलिएस्टर संयंत्र के संबंध में 20.44 लाख रु (गत साल 20.44 लाख रु) मूल्यवाले इसपात वॉस्ल्व और पाइप फिटिग्स अधिशेष के रूप में पहचाने गऐ और निपटाने के लिए रखे गये थे । इनका प्राप्य मूल्य निश्चित नही किया जा सकता । तद्नुसार यदि निपटाने पर कोई हानि हो तो, उसका गणन इस समय नही किया जा सकता ।

17. कंपनी फोटो ग्राफिक मालों के विनिर्माण और विक्रय के कारोबार में है और भारत के सनदी लेखाकार के संस्थान से जारी लेखाकरण स्तर-17 के अनुसार कोई अलग रिपोर्टनीय खण्ड नही है ।

18. क) चालू वर्ष के कर : चालू वर्ष और अग्रेषित किये हानियॉ और सेटऑफ के लिए उपलब्ध भत्ता के विचार विमर्श में, चालू वर्ष के आयकर भुगतान के लिए कंपनी जिम्मेदार नही है । इसलिए चालू वर्ष के कर के लिए कोई प्रावधान नही किया गया ।
ख) कंपनी की हानियों की दृष्टि में, भारत सरकार के सनदी लेखाकारों के संस्थान से जारी किये लेखाकरण 22 स्थर के अनुसार, आस्थगित देयता पर विचार नही किया गया ।

19.एन एम डी सी, के आई ओ सी एल, बी ई एल, पी एच एच एल से अंतर निगमित ऋण के संबंध में लेखों बहियों में स्त्रोत पर कटौती किये आयकर (टी डी एस)और संबंधित ब्याज के लिए क्रमशः 1186.47 लाख रु और 546.10 लाख रु का प्रावधान किया गया था । 2001-2002 साल के दौरान आ क अधिनियम 1961 की धारा 154 के अधीन, 1994-95 के निर्धारण साल के लिए 28.11.2001 को प्रत्यावर्तन आदेश जारी किया गया । इसके कारण उन प्रावधानों का प्रत्यावर्तन किया गया । 1994-95 के निर्धारण साल के दौरान एम यू एल ऋण पर टी डी एस का कोई लेखा नही किया गया और लगातार सालों में, इस संबंध में परिशोधन नही हए थे अतः एम यू एल के संबंध में कटौत टी डी एस लेखों बहियों मे रखी गयी है ।

20. एच पी एफ के पुनर्जीवन के लिए, यथा प्रोत्साहन पैकेज के रूप में तमिलनाडु सरकार ने 920.53 लाख रुपयों की संचित वनलीज़ किराये राशि को 31.03.2010 तक परित्याग कर दिया है और स आ भी जारी किया कि इवाई एवं पानी के लिए, स्वीकार किए संचित टी एन पी सी बी का देय 23.13 लाख रु शुल्क का आग्रह भी नही किया जाएगा । स आ के आधारित राशि पूर्वावधि आय उल्टा किया गया है । **वर्ष के दौरान ली ज किराए के लिए वर्तमान की मांग हिसाब कर दिया गया है। इसके बाद नए जी ओ** टी एन पी सी बी **से प्राप्त हुआ है और उस पर आधारित** 2000-01 **से** 2013-14 **साल के लिए** टी एन पी सी बी **से सहमति शुल्क की मांग जोर नहीं** किया **और** उल्टा किया गया है ।

21. कंपनी ने 1998 से 2004 तक अतिथि गृह के भोग के लिए होटेल सिद्धांत नीलगिरीस (एच एस एन) से बकायी लाइसेन्स शुल्क की वापसी के लिए संपदा अधिकारी के सामने कार्यवाहीयॉ की थी । कार्यवाहीयॉ पूर्ति हुई थी और कंपनी की ओर से संपदा अधिकारी से आदेश जारी कर दिया कि आदेश के तीन महीनों के अंदर 56.50 लाख रु की बकाया लाइसेन्स शुल्क राशि को अदा करने के लिए एच एस एन को निर्देश दिया है । हो सि नी ने आदेश के बनाम अपील किया गया है और मामला सुनवाई के लिए आनेवाला है ।

22. भारत के सनदी लेखाकार के संस्थान से जारी किए लेखाकरण स्तर-18 के अनुसार संबंधित पार्टि के व्यवहार पर प्रकटनः

i) प्रमुख प्रबन्ध मण्डल कार्मिक	श्री एस गिरीष कुमार निदेशक वित्त एवं अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक (अति प्रभार)
मुख्य सतर्कता अधिकारी (अति प्रभार)	श्री के गणेशन

ii) प्रमुख प्रबन्ध मण्डल कार्मिक के पारिश्रमिक उनके संचालनों का विवरण शून्य रु (गत साल शून्या रु)

23. कंपनी ने जिन लघु उद्योग उपक्रमों में 30 दिनों के ऊपर बकाया राशि रखी है, वे शून्य है ।

24. मैक्रो, लघु और मीडियम एन्टरप्राइसेस डेवलप्मेंट अधिनिमय के अधीन 2006 प्रकटनें । आपूर्तिकर्ताओं को बकाया देय को, लेखाकरण साल के अंत में, लेखा प्रधान राशि और ब्याज को क्रमशः संगत सूचना की अनुपस्थिति में निश्चित नही किया जा सकता ।

25. हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स अधिकारियों के संग ने वेतन पुनरीक्षण सं.1996 का रिया 15060 और 1996 का रिया 20654 के लिए एक दावा फाइल किया है एवं मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है । इस दशा में राशि की मात्रा पहचानना कठिन है ।

26.ऋण एवं अग्रिम –

क. 17.03.2017 के आदेश के अनुसार मद्रास के माननीय उच्च न्यायालय ने आयोजित किया कि वी आर एस संकुल मान्य है और इस आदेश को एक महीने के भीतर लागू करने के लिए निर्देशित किया।आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्टमें एस एल पी दायर किया गया था और इसे 19.0.2.2018 को स्पष्टीकरण के साथ खारिज कर दिया कि लाभ दूसरों के बराबर दिया जाना चाहिए । डी एच आई ने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित वी आर एस योजना को लागू करने का फैसला किया और जैसा कि सम्माननीय सुप्रीम को र्टद्वारा स्पष्ट किया गया है। डी एच आई ने आगे निर्देश दिया कि सभी शेष कर्मचारी 30.06.2016 से प्रभावी होंगे और उपर्युक्त तिथि से आगे अग्रिम के रूप में भुगतान किया गया वेतन वी आर एस प्रतिकर से समायोजित किया जाएगा। तदनुसार इसे ऋण और अग्रिम से समायोजित किया गया है।

वी आर एस लाभ से आयकर की वसूली के संबंध में आयकर विभाग द्वारा दायर अपील में अंतिम फैसले लंबित,वी आर एस लाभों पर टी डी एस काट दिया गया है और कंपनी ने माननीय मद्रास उच्च न्यायालयके, निर्देशों के अनुसार टी डी एस भारतीय बैंक, हाई कोर्ट शाखा, चेन्नई में मद्रास के उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के नाम पर विशेष ब्याज असर वाले खाते में जमा किया है।

ख. भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित कर्मचारियों को वी आर एस राशि का निपटान में राशि शामिल है जो, समूह बीमा योजना के तहत भारतीय जीवन बीमा निगम के पास दर्ज दावों के खिलाफ उन्हें प्राप्त होने हैं ।

27. कई सालों से कंपनी बीमार है और 2013 **से कोई उत्पादन गतिविधियों नहीं है** । ऐसे अभ्यास के लिए लगाये उच्च लागत की दृष्टि में, स्थिर परिसंपत्तियों की क्षति के कारण कंपनी हुई हानि का निर्धारण नही कर सकी । अतः ए एस 28 के अनुसार परिसंपत्तियों की क्षति के कारण हानि को निर्धारण कर न पायी।

28. क) ए एस 29 के अनुसार प्रावधान के संबंध में प्रस्तुत विवरण निम्न प्रकार है :

विवरण	**अथ शेष**	**साल के लिए प्रावधान**	**साल में वापसी**	**अंत शेष**
छेनदार	895.43	---	---	895.43
छावे	2584.53	---	---	2584.53
स्टॉक	668.46	---	---	668.46
देयताएँ	687.44	---	---	687.44

ख) लेखाकरण नीति के परिवर्तन के अनुसार, कंपनी ने साल के दौरान खराब एवं असंदिग्ध ऋणों के लिए और अप्रचलित मदों के लिए कोई प्रावधान नही किया गया ।

29. पूर्वावधि समायोजन शून्य रु (निवल व्यय) (गत साल शून्य रु) (निवल नकद) व्यय/आय जो गत सालों में तैयार किये वित्तीय विवरणों से संबंधित चालू अवधि में उठाये /पहचानित किये गये ।

30. **वर्ष के लिए** 4,61,992.05 **लाख रुपये का वित्त लागत प्रदान नहीं की गई क्योंकि कंपनी मद्रास के माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों और निर्देशों के तहत बंद होने की प्रक्रिया में है।**

31. **वर्ष के लिए** 69.74 **लाख रुपये के मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय प्रदान नहीं किया गया है क्योंकि कंपनी मद्रास के माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों और निर्देशों के तहत बंद होने की प्रक्रिया में है ।**

32. क्षमता, उत्पादन, उपभुक्त कच्ची सामग्री, कुल बिक्रि आदि का विवरण

(क) क्षमता और उत्पादन :

कम सं.	माल का प्रकार	2019-20 अनुज्ञप्ति *	2019-20 संस्थापित **	2019-20 उत्पादन @@	2018-19 अनुज्ञप्ति *	2018-19 संस्थापित **	2018-19 उत्पादन @@
1	सिनि फिल्म (साउण्ड और रंगीन तथा फोटो पेपर सहित पाजिटिव और नेगटिव)मि वर्ग मी	12.347	15.260	0.000	12.347	15.260	0.000
2	एक्स-रे फिल्म – मि वर्ग मी	13.668	11.820	0.000	13.668	11.820	0.000
3	रोल फिल्म – मि वर्ग मी	1.010	0.310	0.000	1.010	0.310	0.000
4	ग्राफिक आर्टस – मि वर्ग मी	3.000	#2.250	0.000	3.000	#2.250	0.000
5	औद्योगिक एक्स-रे–मि वर्ग मी	0.750	#0.510	0.000	0.750	#0.510	0.000
6	प्रोससिंग रसायन – टन	ला न	400	0.000	ला न	400	0.000
7	सिल्वर नाइट्रेट – टन	90@	120	0.000	90@	120	0.000
8	मॉग्नेटिक टेप – मि र मी	1500	550	0.000	1500	550	0.000

ला न लागू नही

* पुनर्पृष्ठांकित अनुज्ञप्ति के अनुसार परिशोधित

** बोर्ड द्वारा 1981में पुनर्निधारित और अनुमोदित गयी संयंत्र की कुल समेकित / परिवर्तित क्षमता सहित सूचित करता है [एक्स-रे के अतिरिक्त कोटिग संयंत्र की क्षमता के सहित जिसका उत्पादन होने के बाद तकनीकी रूप से निर्धारन करने की जरूरत है]

@ संभरण सुविधा के रूप में रिफाइंड सिल्वर के 81मे टन के लिए अनुज्ञप्ति क्षमता सहित

@@ 0.00 मि वर्ग मी.आयातित जम्बो रोलों के कार्यादेश परिवर्तन सहित

\# अनुमोदित आर सी ई - IIके अनुसार नई पॉलिएस्टर बेसड परियोजना के संस्थापित कोटिग क्षमता चिकित्सा एक्स-रे 15.03 मि वर्ग मी, ग्राफिक आर्टस 2.25मि वर्ग मी, और आद्योगिक एक्स-रे 0.51मि वर्ग मी, [अर्थात् कुल 17.79मि वर्ग मी, प्रति वर्ष.], लेकिन इन उत्पादों के लिए विवश्ता/अढतिया निम्नानुसार है :

चिकित्सा एक्स-रे: 11.82 मि वर्ग मी,. [ऊटी और अम्बत्तूर सहित कन्वर्शन]

ग्राफिक आर्टस: 2.25 मि वर्ग मी,. [कोटिग]

औद्येगिक एक्स-रे: 0.51मि वर्ग मी, [ऊटी और अम्बत्तूर सहित कन्वर्शन]

32 (ख) उपभुक्त कच्ची सामग्रियॉ

मूल्य : रु लाखों में

		2019-20		2018-19	
	इकाई	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
सेल्यूलोस ट्राइएसिटेट्	कि ग्रा	0.00	0.00	0.00	0.00
सिल्वर	कि ग्रा	0.00	0.00	0.00	0.00
मेथेलिन क्लोराइड	कि ग्रा	0.00	0.00	0.00	0.00
मेथनॉल	कि ग्रा	0.00	0.00	0.00	0.00
ट्राइफिनायल फासफेट	कि ग्रा	0.00	0.00	0.00	0.00
जेलेटिन	कि ग्रा	0.00	0.00	0.00	0.00
एसिटोन	कि ग्रा	0.00	0.00	0.00	0.00
बैरिठा कोटेड पेपर	वर्ग मी	0.00	0.00	0.00	0.00
पॉलिएस्टर बेस	वर्ग मी	0.00	0.00	0.00	0.00
कोटेड जम्बो	वर्ग मी	0.00	0.00	0.00	0.00
योग			**0.00**		**0.00**

32 (ग) कुल बिक्री और उत्पादित माल के स्टॉक

मूल्य:रु लाख मे:: मात्रा:लाख वर्ग मी में,

माल का प्रकार	31-03-2020 को समाप्त हुए वर्ष				31-03-2019 को समाप्त हुए वर्ष			
	कुल बिक्री		इति स्टॉक		कुल बिक्री		इति स्टॉक	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
उत्पादित सिनि फिल्म	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
उत्पादित एक्स-रे	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
उत्पादित रोल फिल्म	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
उत्पादित फोटो पेपर	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
उत्पादित ग्राफ़िक आर्टस	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
उत्पादित औद्योगिक एक्स-रे	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
उत्पादित माग्नेटिक टेप	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
उत्पादितरसायन-टन	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
उत्पादित विविध	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
योग		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**

32 (घ) पारिश्रमिक के संबंध में सूचना

(रु लाखों में)

		2019-20	2018-19
i.	निदेशक वित्त एवं (अति प्रभार) अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक – वेतन	---	---
ii.	मुख्य सतर्कता अधिकारी	---	---
	भविष्य निधि और अन्य निधियॉ	---	---

32 ङ) आयात व्यय/विदेशी मुद्रा में कमाई /विनिमय आदि का विवरण.,

		2019-20	2018-19
i.	कच्ची सामग्रियॉ	---	---
	घटक और अतिरिक्त पुर्जे	---	---
	पूंजी मालें	---	---

ii. उपभुक्त कच्ची सामग्रियॉ, भण्डार और अतिरिक्त पुर्जे का मूल्य

	2019-20		2018-19	
	रु लाख में	उपभोग का प्रतिशत	रु लाखमें	उपभोग का प्रतिशत
कच्ची सामग्रियॉ				
- आयातित	0.00	0.00	0.00	0.00
- स्वदेशी	0.00	0.00	0.00	0.00
भण्डार और अतिरिक्त पुर्जे				
- आयातित	0.00	0.00	0.00	0.00
- स्वदेशी	0.00	0.00	0.00	0.00

iii.	विदेशी मुद्रा में व्यय (नकद आधार)	---	---
iv.	विदेशी मुद्रा में कमाई माल का निर्यात (एफ ओबी)	---	---

. चालू वर्ष में प्रस्तुती में, जहॉ भी आवश्यक हो, पिछले साल के आंकडों को पुनःवर्गीकृत /पुनःश्रेणीकृत किया है ।

. लेखों में कोष्टक में दिए गए आंखडे नेगटिव बकाया दर्शाते हैं ।

33. लेखों पर नीतियॉ :

1. सामान्य

वित्तीय विवरण एतिहासिक लागत, कन्वेन्शन और ऑनगोइंग कन्सर्न के आधार पर तैयार किए गये हैं । ये विवरण, प्रयोज्य आदेशात्मक लेखा स्तरों एवं कंपनी अधिनियम 2013के संगत प्रस्तुतीकीय की अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किए गए हैं ।

2. स्थिर परिसंपत्तियॉ :

1. स्थिर परिसंपत्तियों का मूल्यांकन उनके एतिहासिक कीमत पर किया जाता है ।
2. भूमि : पट्टे पर ली गयी भूमि सहित भूमि का विकास पर व्यय, भूमि की कीमत के अंक रूप में पूंजीकृत किये गये हैं

3. अविचारणीय परिसंपत्तियॉ :

पैटेण्ट्स को कम किये संचित एमार्टाइशेषण, लागत प्राप्ति पर दिखाया है । पैटेण्ट्स को स्ट्रैट लाइन के आधार पर दस साल के अतिरिक्त अवधि के अंदर चुकाया जाता है ।

4. मूल्यह्रास :

i) 31.03.1987 को मौजूद परिसम्पत्तियों पर, आयकर अधिनियम 1961 में विनिर्दिष्ट दरों पर सरल रेखा पद्धति से और तत्पश्चात् अर्जित परिसंपत्यिों पर कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है। जोडों पर यथानुपात मूल्यह्रास का व्यय लगाया जाता है ।

ii) 5000 रु से कम लागत की परिसंपत्ति 100% पर मूल्यह्रासित है ।

5. निवेश

निवेश का मूल्य उनकी कीमत के आधार पर किया जाता है ।

6. चालू परिसंपत्तियॉ, ऋण और अग्रिम

क) माल सूचियों का मूल्यांकन :

भण्डार और पुर्जे आदि	- कीमत पर
निर्बंध औजार	- मूल्यह्रास घटाकर कीमत पर
कच्ची सामग्रियॉ	- लागत पर
आयातित जम्बो कच्ची सामग्रियॉ	- लागत पर या निवल प्राप्य मूल्य, जो भी कम हो
प्राप्य स्क्रेप / एनोड स्लाइम	- निवल प्राप्य मूल्य पर
प्रोसेस स्टॉक	- लागत पर या मार्किट मूल्य जो भी कम हो
तैयार माल	- लागत पर या निवल प्राप्य मूल्य जो भी कम हो

ख) कच्ची सामग्रियों के अंतिम स्टॉक के मूल्यांकन में उसे वर्तमान स्थान पर लाने के संबंध में हुए सभी सीधे लागत शामिल कर मूल्यांकन किया जाता है । "निवल प्राप्य करने योग्य मूल्यों" पर पहूँचने के लिए विक्रय दामों (निवल पट्टा) से पूरक दाम घटाए गए हैं ।

ग) तैयार माल तथा प्रगति पर कार्य के लागत को संगणित करते समय वित्त प्रभार तथा प्रशासकीय ऊपर व्यय वर्जित किए गए ।

घ) i. प्रगति पर कार्य तथा छीजन के चॉदी अंश जिसका मूल्य तिमाही चल औसत पद्धति पर किया जाता है, उसे छोडकर मालसूची का मूल्यांकन एफ आई एफ ओ के आधार पर किया जाता है ।

ii.वर्षांत में तैयार माल को प्रत्यक्ष सत्यापन के आधार पर हिसाब में लिया गया है और प्रत्यक्ष मालसूची और स्टॉक रिकार्ड के बीच में आधिक्य / कमी का लेखो में उचित समायोजन किया जाता हैं। पाँच सालों से ऊपर बनाये गये पुराने (अप्रयुक्त / अधिशेष मदें, भण्डार एवं पुर्जे तथा कच्ची सामग्रियॉ) गैर संचालन सामग्रियॉ का प्रावधान किया गया है ।

iii.तैयार माल पर दी गयी चुंगी को वसूली योग्य माना गया है और उसे विक्रय दर या मालसूची के मूल्य मेंनही जोडा गया है । चुंगी के भुगतान के बाद पडे अंतिम स्टॉक के लिए वसूली योग्य चुंगी का हिसाब वर्षांत में लागू मूल्य और चुंगी के आधार पर लगायाजाता है

7. प्राप्य व्यापार :

फुटकर देनदारों में माल की रसत करनेवाले और सेवा करनेवाले व्यापारिक देनदार शामिल किये गये हैं ।

8. दावेः

i.सांविधिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या अन्यान्य पूर्ति के लिए दी गयी रकम में जो विवाधाधीन है उनको संबंधित अधिकारियों के हर मामले को ध्यान में रखकर वसूली योग्य माना जाता है ।

ii.बीमा या अन्य दावों को, दावों की प्रस्तुती पर वसूली योग्य माना जाता है, और उन्हें निपटाने के लिए वर्ष में समायोजित किया जाता है

9. निवृत्ति लाभ :

कंपनी के सभी कर्मचारियों को 30.6.2016 के प्रभाव से वी आर एस पर राहत की गई है और लाभ का निपटान कर दिया गया है ।

10. विनिमय अन्तर :

i. विदेशी मुद्रा के शेष (राजस्व और पूंजी) ऋणों को, तुलन पत्र के दिन प्रचलित विनिमय दरों के अनुसार पुनःसमायोजन किया गया है ।

ii. चालू देयताओ और चालू परिसंपित्तयों को उठाने के सम्बद्ध प्रतिकूल विनिमय अन्तरों को, राजस्व लेखों में प्राधिकृत गया है।

11. सामग्री लागत :

i. आयातित सामग्रियों पर देय आयात शुल्क को प्रोद्भवन के आधार पर लेखों में दर्शाया गया है ।

ii.उत्पाद शुल्क और मॉडवेट राहत को कीमत का अंश माना जाता है ।

12. उत्पाद शुल्क :

माल की निकासी और विक्रय पर उत्पाद शुल्क, उत्पाद शुल्क के हिसाब में लिया जाता है। ऐसे प्रबन्ध से लाभकारिता पर प्रभाव नही पडता ।

13. राजस्व मान्यता :

i.आमतौर पर माल की बिक्री को तभी माना जाता है, जब माल किसी क्रय के लिए बेची गयी हों,और सभी महत्वपूर्ण जोखिम और स्वामित्व का स्थानांतरण खरीदार को किया गया हो और उन स्थानांतरित मालों पर कोई प्रभावी नियंत्रण बाकी न रह गया हो और उनकी कीमत की प्राप्ति में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता न हो ।

ii.आमतौर पर सेवाओं के लिए प्राप्त रकम को राजस्व तभी माना जाता है, जब उनसे प्राप्त रकम की प्राप्ति में, कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता न हो ।

iii.आमतौर पर अन्यों से कंपनी के संसाधानों का इस्तेमाल किए जाने पर, प्राप्त राजस्व को मान्यता तभी दी जाएगी, जब प्राप्त रकम की प्राप्ति में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता न हो ।

iv.आमतौर पर पिछले सालों में अनुपालन किये निवल मूल्य के बनाम वसूली मूल्य पर आधारित बट्टे और कमीशन को सम्मिलित, विक्रय मूल्य के संबंध में कंपनी ने अपनी नीति को परिवर्तितकिया गया है ।

वि. विनयन	**एस गिरिष कुमार**	**मदन पाल सिंह**
महाप्रबंधक - तकनीकी और इकाई प्रमुख प्रभार	**निदेशक (वित्त) एवं अध्यक्ष सहं प्रबन्ध निदेशक**	**निदेशक**

कृते नरेश एंड को
सनदी लेखाकार
एफ आर एन 011239एस
एन रामलिंगम
सहयोगी
सदस्यता संख्या : 208992

स्थान : उटकमण्ड
दिनांक : 20.08.2020

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण (रु हजार में)

प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह	**2020**	**2019**
कर और असाधारण वस्तुओं और पहले अवधि लेनदेन (पीपीटी) से पहले शुद्ध लाभ / (हानि)	(23,507)	(19,388)
समायोजन के लिए		
मूल्यह्रास	-	-
वित्त कीमत	-	-
असाधारण सामग्री	-	4,471
अन्य गैर ऑपरेटिव आय	(2,341)	(3,924)
कामकाजी पूंजी परिवर्तन से पहले ऑपरेटिंग लाभ	(25,848)	(18,841)
ऑपरेटिंग संपत्तियों में वृद्धि (वृद्धि) / घटाने के लिए समायोजन		
सूची	352	(675)
पाने लायक कारोबार	8	(391)
अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	(33)	60,155
अन्य मौजूदा परिसंपत्तियों	90	(430)
ऑपरेटिंग देयताओं में वृद्धि / (कमी) के लिए समायोजन		
देय व्यापार	6,720	3,560
अन्य चालू देनदारियां	1,185	(3,68,828)
अल्पकालिक प्रावधान	-	(193)
संचालन से उत्पन्न नकद प्रवाह	**8,322**	**(3,06,802)**
प्रत्यक्ष कर भुगतान किया	-	-
असाधारण वस्तुओं और पहले अवधि लेनदेन (पीपीटी) से पहले नकद प्रवाह	(17,526)	(3,25,643)
असाधारण सामग्री	-	4,471
ऑपरेटिंग गतिविधियों से नेट नकद (ए)	(17526)	(3,30,114)
निवेश गतिविधियों से कैश फ्लो		
निश्चित संपत्तियों की खरीद	-	-
निश्चित संपत्तियों की बिक्री	-	-
ब्याज प्राप्त किया	2,341	3,924
दीर्घ कालिक ऋण और अग्रिम	-	-
निवेश गतिविधियों में उपयोग की जाने वाली शुद्ध नकदी (बी)	2,341	3,924
वित्तीय गतिविधियों से कैश फ्लो		
शेयरों के मुद्दे से प्राप्त आय	-	-
शॉर्ट टर्म उधार से प्राप्त आय	-	3,60,000
अल्पकालिक उधार की चुकौती	-	-
लंबी अवधि के उधार से प्राप्त आय	-	-
लंबी अवधि के उधार की चुकौती	-	-
वित्त कीमत	-	-
वित्त पोषण गतिविधियों से नेट नकद (सी)	-	3,60,000
नकद और नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि / कमी (ए + बी + सी)	(15,185)	33,810
वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समकक्ष	52,556	18,746
वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्ष	37,371	52,556

वि. विनयन
महाप्रबंधक - तकनीकी और इकाई प्रमुख प्रभार

एस गिरिष कुमार
निदेशक (वित्त) एवं अध्यक्ष सहं प्रबन्ध निदेशक

मदन पाल सिंह
निदेशक

कृते नरेश एंड को
सनदी लेखाकार, एफ आर एन 011239एस
एन रामलिंगम, सहयोगी
सदस्यता संख्या : 208992

स्थान : उटकमण्ड
दिनांक : 20.08.2020

नरेश एंड को **27 सी मारीअमन कोइल स्ट्रीट**

सनदी लेखाकार, **विल्लुपुरम, चेनै 605602**

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफेक्चरिग कंपनी लिमिटेड के सदस्यों को

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

हमने मेसर्स हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफेक्चरिग कंपनी लिमिटेड के 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय स्टेटमेंट्स लेखा परीक्षित की है जिसमें शामिल हैं लाभ और हानि का विवरण, साल के समाप्त कैशफ्लो स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण पर टिप्पणियॉ और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों ।

विपरीत राय

हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दी गई व्याख्याओं के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के प्रतिकूल राय अनुभाग के आधार में चर्चा की गई बात के महत्व के कारण, वित्तीय विवरण सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण नहीं देते हैं, 31 मार्च 2020 के कंपनी के मामलों की स्थिति पर भारत में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, इसके नुकसान की, और समाप्त हो गए वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का।

योग्य राय का आधार

1. कंपनी परिसमापन के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार नहीं किए हैं तथापि यह एक चल रहा संगठन नहीं हैं क्योंकि उच्च न्यायालय द्वारा समेटना का सिफारिश स्वीकार किया है, हालांकि, आधिकारिक परिसमापक को कार्यभार लेना बाकी है (नोट 30.11 देखें)। हम वित्तीय विवरणों के सामानों के परिणामी समायोजन निर्धारित करने में असमर्थ हैं।
2. कंपनी ने इंड ए एस वित्तीय विवरण जैसा कि अधिनियम की धारा 133 के तहत आवश्यक है, वहां जारी किए गए प्रासंगिक नियमों के साथ पढ़ें के रूप में तैयार नहीं किया हैइसके अलावा वित्तीय वक्तव्य कंपनी अधिनियम 2013 की आवश्यकता का पालन नहीं करता है -डिवीजन II - वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए अनुसूची III और फ्रेमवर्क और वित्तीय वक्तव्य की तैयारी और प्रस्तुति के लिए ढांचाभारतीय लेखा मानक के अनुसारवर्गीकरण / उप वर्गीकरण लाइन आइटम / उप लाइन आइटम और अन्य आवश्यक प्रकटीकरण के संबंध में (अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने की टिप्पणियाँ)) निम्नलिखित सहित:
   i. विभिन्न वित्तीय संस्थानों से दीर्घ कालिक उधार जिसमे शामिल ऋण और डिबेंचरों गैर मौजूदा देनदारियों के रूप में वर्गीकृत है। कंपनी ने ऋण और ब्याज के पुनर्भुगतान के संबंध में समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया है क्योंकि निपटारे को स्थगित करने के लिए उसके पास बिना शर्त अधिकार नहीं है और इसके परिणामस्वरूप इसे वर्तमान देयता के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए.
   ii. .मूलधन और ब्याज की चुकौती में सुरक्षा की प्रकृति, पुनर्भुगतान शर्तों और डिफ़ॉल्ट के विवरण का खुलासा नहीं।
3. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, पूंजी-कार्य-प्रगति (सी डब्ल्यू आई पी) और मूल्यह्रास के संबंध में:

   क .कंपनी ने उपयोगी जीवन का आकलन नहीं किया है औरइसलिए लाभ और हानि में कोई हानि नहीं ली गई है। प्रासंगिक जानकारी की अनुपस्थिति में, वित्तीय विवरणों पर इसका प्रभाव पता नहीं लगाया जा सकता है (नोट संख्या 30.27 देखें)

   ख. कंपनी ने वर्ष के लिए 69.74 लाख रुपये के मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय प्रदान नहीं किया गया है।(नोट संख्या 30.31 देखें) इससे पहले के वर्षों के लिए कंपनी ने आयकर अधिनियम 1961 में निर्धारित दरों के आधार पर 31.3.1987 के मौजूदा संपत्तियों के संबंध में कंपनी सीधी रेखा मूल्यह्रास प्रदान कर रही है और उसके बाद

अधिग्रहीत परिसंपत्तियों के संबंध में कंपनी अधिनियम 1956 में निर्धारित दरों पर जो कंपनी अधिनियम 2013 की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है जो परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन के अनुसार मूल्यह्रास की गणना के लिए जरूरी है। प्रासंगिक जानकारी की अनुपस्थिति में, वित्तीय विवरणों पर इसका प्रभाव पता नहीं लगाया जा सकता है ।(नोट संख्या 31.4 देखें)

4. कंपनी के खिलाफ विवादित दावों के आकस्मिक देनदारियां निर्धारित नहीं हैं और पूरी तरह से उद्घाटित नहीं हैं। प्रासंगिक जानकारी की अनुपस्थिति में, वित्तीय विवरणों पर इसका प्रभाव पता नहीं लगाया जा सकता है । (नोट संख्या 30.1 देखें)
5. कंपनी ने खराब और संदिग्ध ऋण और गैर चलती सूची के लिए प्रावधान नहीं बनाया है और प्राप्तियां और सूची में बताई गई राशि का एहसास नहीं हो सकता क्योंकि कंपनी ने 2013 सेसंचालन बंद कर दिया है। प्रासंगिक जानकारी की अनुपस्थिति में, वित्तीय विवरणों पर इसका प्रभाव पता नहीं लगाया जा सकता है ।
6. कंपनी ने उन मामलों के लिए उत्तरदायित्व नहीं बनाया है जो कंपनी के लिए प्रतिकूल हैं और जहां इसके बाद अपील संभव नहीं है या सॉलिसिटर द्वारा सलाह दी गई है कि आगे अपील नहीं हो सकती है। तथापि, प्रासंगिक जानकारी की अनुपस्थिति में परिमाणन नहीं किया जा सकता है ।
7. कंपनी ने मुद्दे की शर्तें के अनुसार आवश्यक डिबेंचर रिडेम्प्शन रिजर्व नहीं बनाया है। इसके फलस्वरूप अन्य इक्विटी - रिजर्व और अधिशेष, हानि न्यून-कथित हैं (नोट संख्या 30.3 देखें)
8. अग्रिम, जमा, प्राप्तियां, बैंक/ नकद खाते, वर्तमान देनदारियों, दीर्घ कालिक उधार के तहत शेष राशि पुष्टि, सुलह और परिणामी समायोजन के अधीन हैं । तथापि वित्तीय विवरणों पर इसका प्रभाव पता नहीं लगाया जा सकता है ।(नोट संख्या 30.3 देखें) ।
9. गैर / देरी वैधानिक अनुपालन के लिए जुर्माना और ब्याज अर्थात आयकर, जी एस टी, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर इत्यादि उपलब्ध नहीं कराए गए हैं । इसके फलस्वरूप, नुकसान और अन्य मौजूदा देयताएं कम हो जाती हैं । तथापि हम वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव को मापने में असमर्थ हैं।
10. 4,61,992.05 लाख रुपये की वित्त लागत, प्रदान नहीं की जाती है परिणामस्वरूप नुकसान और देयताएं न्यून-कथित हैं।(नोट संख्या 30.30 देखें)

हम निर्दिष्ट अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत द्वारा जारी किए गए अंकेक्षण पर मानकों के अनुसार हमारे अंकेक्षण किया । हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग के लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा जिम्मेदारियों में हमारी जिम्मेदारियों को आगे वर्णित किया गया है। हम नैतिक के संहिता और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत भारतिय वित्तीय विवरणों को हमारे लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, और हमने अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा सबूत हमारे प्रतिकूल राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

गोइंग कंसर्न से संबंधित सामग्री अनिश्चितता

हम वित्तीय विवरणों में नोट नंबर 3 पर ध्यान आकर्षित करते हैं जो इंगित करता है कि कंपनी को संचित नुकसान हुआ है और इसकी निवल संपत्ति पूरी तरह से नष्ट हो गई है, कंपनी को चालू और पिछले वर्ष के दौरान शुद्ध हानि हुआ है, और कंपनी की वर्तमान देनदारियाँ बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार उसकी वर्तमान परिसंपत्तियों से अधिक हो गईं। कंपनी मद्रास के माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों और निर्देशों के तहत वैधानिक रूप से बंद होने की प्रक्रिया में है (नोट 30.11 देखें) ।इन घटनाओं या स्थितियों से संकेत मिलता है कि एक सामग्री अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी को गोइंग कंसर्न के रूप में जारी जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकती है। इस मामले के संबंध में हमारी राय उपांतरित नहीं है।

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले

प्रतिकूल राय के आधार और गोइंग कंसर्न से संबंधित सामग्री अनिश्चितता में वर्णित मामले को छोड़कर, हमने निर्धारित किया है कि हमारी रिपोर्ट में संवाद के लिए कोई प्रमुख लेखा परीक्षा मामले नहीं हैं ।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारियां

कंपनी का निदेशक मंडल ,कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134 (5) में वर्णित मामलों के लिए जिम्मेदार है, इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में जो एक सच्चा और निष्पक्ष विचार देते हैं वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन, कंपनी के इक्विटी और नकदी प्रवाह में परिवर्तन, , जो , कंपनी में आमतौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार और अधिनियम की धारा 133 के तहत हैं ।इस जिम्मेदारी में शामिल है कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेख का रखरखाव, लेखांकन नीतियों के उचित कार्यान्वयन और रखरखाव का चयन और आवेदन, निर्णय और अनुमान जो उचित और विवेकपूर्ण हैं; और डिजाइन, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखां अभिलेख की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से काम कर रहे थे, जो वित्तीय विवरण की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक है और एक सच्चा और निष्पक्ष विचार देते देते हैं और सामग्री गलत बयान से मुक्त होते हैं , चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण ।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधन ज़िम्मेदार है कंपनी को गोइंग कंसर्न के रूप में जारी रखने की क्षमता का आकलन करने के लिए, गोइंग कंसर्न से संबंधित मामलों का प्रकटीकरण, गोइंग कंसर्न के आधार पर लेखांकन जब तक प्रबंधन ने कंपनी को परिसमाप्त या संचालन बंद करने का इरादा रखता है, या कोई वास्तविक विकल्प नहीं लेकिन ऐसा ही करना है।

कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी निदेशक मंडल जिम्मेदार हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य है उचित आश्वासन प्राप्त करने कि वित्तीय विवरण संपूर्ण रूप से सामग्री गलत बयान से मुक्त हैं ,चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, और एक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल है उचित आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, लेकिन यह प्रत्याभूति नहीं है कि एस ए एस के अनुसार किया गया लेखापरीक्षा किसी सामग्री गलत बयान का पता लगाएगा। गलत बयान धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और सामग्री मानी जाती है यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने के लिए यथोचित अपेक्षा की जा सकती है।

स ए एस के अनुसार लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखापरीक्षा में पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं। स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की सामग्री ग़लतबयान के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करना, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी ऑडिट प्रक्रियाओं को डिज़ाइन और निष्पादित करना, और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप एक ग़लतबयान का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप एक से अधिक है धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री ग़लतबयान का पता नहीं लगाना जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप से अधिक है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण का अधिभावी करना शामिल हो सकती है।

लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखा परीक्षा से प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं। अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इस तरह के नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता।

उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना ।

गोइंग कंसर्न के आधार लेखांकन के प्रबंधन उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष , और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर कि क्या एक घटना या शर्तों से संबंधित सामग्री अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी के गोइंग कंसर्न के रूप पर एक महत्वपूर्ण संदेह डाल सकती है । यदि हम यह निष्कर्ष करते हैं हैं कि कोई सामग्री अनिश्चितता मौजूद है, या इस तरह के खुलासे अपर्याप्त हैं. , तो हमारी राय को संशोधित करने के लिए , हमें अपने लेखापरीक्षा की रिपोर्ट में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है, । हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं । हालाँकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों, गोइंग कंसर्न के रुप में कंपनी को रोकने का कारण बन सकता है।

प्रकटीकरण सहित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना और क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो उचित प्रस्तुति प्राप्त करते हैं।अन्य मामलों के बीच, लेखापरीक्षा का समय और योजनाबद्ध गुंजाइश, महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष, आंतरिक नियंत्रण में शामिल किसी भी महत्वपूर्ण कमी, जो हम अपने लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं, हम शासन के जिम्मेदारो से संवाद करते हैं ।

हम शासन के उन जिम्मेदारो को एक बयान भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और जहां लागू हो उनसे सभी रिश्तों और अन्य मामलों का संवाद करना जो हमारी स्वतंत्रता पर सहन करता है ।

हम शासन के जिम्मेदारो से संचारित मामलों से हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे और इसलिए वे प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन किया हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के सार्वजनिक प्रकटीकरण या अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम निर्धारित करते हैं कि हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले का संप्रेषण नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के दुष्परिणामों से इस तरह के संचार से सार्वजनिक हित लाभ को पछाड़ दिया जाएगा ।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट:

1. कंपनियों (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश 2016 5 द्वारा आवश्यक रूप में भारत की केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए अधिनियम के धारा 143 की उपधारा11के संदर्भ में,हम निर्दिष्ट मामलों पर आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में लागू हद तक एक बयान देते ह।
2. अधिनियम की धारा 143 (3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:
   क. प्रभाव / संभावित प्रभावों को छोड़कर हमने उपरोक्त प्रतिकूल राय अनुच्छेद के लिए बेसिस में वर्णित मामले के प्रभाव / संभावित प्रभावों को छोड़कर, मांग की है और हमारे लेखा परीक्षाके उद्देश्य के लिए हमारे सभी ज्ञान और विश्वास के लिए आवश्यक सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं;

   ख. विपरीत राय पैरा में वर्णित मामलों की प्रभाव/ संभावित प्रभावों को छोड़कर हमारी राय में जरूरी खाते के समुचित किताबें कानूनी रूप से अब तक कंपनी द्वारा रखा गया है जो पुस्तकों के बारे में हमारी परीक्षा से प्रकट होता है।

   ग. विपरीत राय पैरा में वर्णित मामलों की प्रभाव/ संभावित प्रभावोंको छोड़कर बैलेंसशीट और लाभ और इस रिपोर्ट में निर्दिष्ट हानि का विवरण खाते की पुस्तकों के साथ समझौता कर रहे हैं।

   घ. उपरोक्त वित्तीय विवरण अधिनियम के धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक का पालन नहीं करते हैं, जो नीचे जारी किए गए प्रासंगिक नियमों के साथ पढ़ते हैं।

   ङ. हमारी राय में योग्य राय पैरा में वर्णित मामलों ,कंपनी के काम काज पर एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

   च. हमारे विचार में, सामग्री अनिश्चितता में वर्णित गोइंग कंसर्न पैराग्राफ से संबंधित गोइंग कंसर्न मामले ,कंपनी के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

छ. निदेशक मंडल के रिकार्ड पर लिया 31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, निर्देशकों में से कोई भी खण्ड(छ) के मामले में निदेशक के रूप में नियुक्त किया जा रहा और अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार 31 मार्च 2020 की स्थिति के निरर्हित कर रहे हैं।

ज. खातों के रख-रखाव और उस से जुड़े अन्य मामलों से संबंधित प्रतिकूल टिप्पणियां उपरोक्त प्रतिकूल राय अनुच्छेद के आधार पर बताया गया है।

झ. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संबंध में और इस तरह के नियंत्रण के संचालन के प्रभावको, "अनुबंध बी 'में अपने अलग रिपोर्ट में देखें

ञ. हमारी जानकारी और हमें दिया स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनियों (लेखापरीक्षा औरलेखा परीक्षकों) नियमके नियम 11 में लेखा परीक्षकों की रिपोर्टमें शामिल किए मामलों के संबंध में

i कंपनी वित्तीय विवरण में वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों का प्रभाव कंपनी खुलासा नहीं किया है । वित्तीय विवरण के नोट 30.1 देखें और पैरा पर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है :प्रतिकूल राय के आधार, बिंदु संख्या 4 आकस्मिक देनदारियां का ।

ii. कंपनी में व्युत्पन्न अनुबंध सहित कोई दीर्घ कालिक अनुबंध नहीं है।

iii. कंपनी ने कोई राशि स्थानांतरित नहीं किया है जो निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष को स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक था।

3. इसके अलावा, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के प्रावधान के अनुपालन में, भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक द्वारा जारी उपनिर्देश, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

I. क्या कंपनी में,आई टी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए प्रणाली है? यदि हाँ, तो आई टी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ, खातों की अखंडता के साथ वित्तीय निहितार्थ, यदि कोई है, तों बताया जा सकता है।

हाँ। कंपनी में आई टी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए प्रणाली है।

II. कंपनी को ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण क्या किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए ऋण के किसी मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन या छूट के मामलों / ऋण / ब्याज/ ऋण उतारना आदि है? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव को बताया जा सकता है।

नहीं

III. क्या केंद्रीय / राज्य संस्थाओं से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त / प्राप्य धनराशि को उसके निबंधन और शर्तों के अनुसार ठीक से हिसाब / उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं ।

वर्ष के दौरान केंद्रीय / राज्य एजेंसियों या सरकारों से कोई धन नहीं मिला।

कृते नरेश एंड को
सनदी लेखाकार
एफ आर एन 011239एस
एन रामलिंगम
सहयोगी
सदस्यता संख्या : 208992

स्थान : उटकमण्ड
दिनांक : 20.08.2020

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध - "क"

(31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए हिंदुस्तान फोटो फिल्म एमएफजी कंपनी लिमिटेड के खातों पर हमारी रिपोर्ट में संदर्भित)

i) अचल संपत्तियों के संबंध में

क) हमारी राय में और लेखा परीक्षा के दौरान हमारे दिए गए स्पष्टीकरण और जानकारी, के अनुसार कंपनी उचित रिकॉर्ड को बनाए रखते है जिसमें मात्रात्मक विवरण और अपनी अचल संपत्ति की स्थिति का सहित पूर्ण विवरण है।

ख) हमारी राय में और लेखा परीक्षा के दौरान हमें दिए गए स्पष्टीकरण और जानकारी के अनुसार अचल संपत्ति का शारीरिक रूप में उचित अंतराल पर प्रबंधन द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है ।

ग) हमारी राय में और लेखा परीक्षा के दौरान हमें दिए गए स्पष्टीकरण और जानकारी के अनुसार अचल संपत्ति का शीर्षक कर्मों कंपनी के नाम पर आयोजित की जाती हैं।

ii) इन्वेंटरी के संबंध में:

हमारी राय में और लेखा परीक्षा के दौरान हमें दिए गए स्पष्टीकरण और जानकारी के अनुसार साल के दौरान सभी

इन्वेंटरी को भौतिक रूप से प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल सत्यापन नही किया गया है ।

iii) कंपनी अधिनियम, 2013 के 18 9 के रखरखाव के रजिस्टर में शामिल पार्टियों को दी गई ऋण के संबंध में:

हमारी राय में और लेखा परीक्षा के दौरान हमें दिए गए स्पष्टीकरण और जानकारी, के अनुसार,कंपनियों के लिए, फर्म एल एल पी का या अन्य पार्टियों जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत रजिस्टर में सूचीबद्ध बनाए, कंपनी ऋण , सुरक्षित या असुरक्षित प्रदान नहीं किया गया है\ तदनुसार,आदेश के पैरा 3 (iii) कंपनी के लिए लागू नहीं है ।

iv) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुभाग 185 और 186 के प्रावधानों के तहत ऋण, निवेश, गारंटी और सुरक्षा के संबंध में:

हमारी राय में और लेखा परीक्षा के दौरान हमें दिए गए स्पष्टीकरण और जानकारी, के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 185 और 186 में, वर्णित वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई भी ऋण निवेश, गारंटी और सुरक्षा नहीं दी गई है। तदनुसार,आदेश के पैरा 3 (iv) कंपनी के लिए लागू नहीं है।

v) हमारी राय में और लेखा परीक्षा के दौरान हमें दिए गए स्पष्टीकरण और जानकारी, के अनुसार साल के दौरान कंपनी ने जनता से कोई जमा की प्राप्ति नही किया है ।

vi) कंपनी द्वारा विनिर्माण किये जानेवाले मालों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की कंपनियां (लागत अभिलेख और लेखा परीक्षा) नियम 2014 की धारा 148 उप धारा 1 (घ)के अधीन केन्द्रीय सरकार ने लागत अभिलेखों का पालन करने का निर्धारण नही किया है ।

vii) वैधानिक देय राशि के संबंध में

क) हमारी राय में और लेखा परीक्षा के दौरान हमें दिए गए स्पष्टीकरण और जानकारी, के अनुसार, निर्विवाद वैधानिक देयताओं सहित भविष्य निधि , कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और अन्य सामग्री सांविधिक देय राशि के संबंध में नियमित रूप से जमा नहीं किया गया है और देरी हुई है । हमारी राय में और लेखा परीक्षा के दौरान हमें दिए गए स्पष्टीकरण और जानकारी, के अनुसार 31 मार्च 2020 को सांविधिक राशि के संबंध में कोई निर्विवाद राशि बकाया नहीं है , जो उस तारीख से छह महीने से अधिक को देय हुआ था ।

छह महीने से अधिक के लिए बकाया वैधानिक देय राशि का बयान

संविधि का नाम	देयों की प्रकृति	राशि (रु लाखों में)	राशि संबंधित अवधि	प्रेषण के लिए अंतिम तारीख	टिप्पणी
आयकर अधिनियम, 1961	अनु एवं वि उपकर	4.94	1992-93	1992-93	अभी तक चुकाया नहीं।
कंपनी अधिनियम, 1956	निवेशक शिक्षा एवं प्रोटेक्शन निधि के अधीन दर्शाया एचं पी एफ बाण्ड "अ" श्रृंखला पर प्रधान व ब्याज जिन पर दावा नही किये गये हैं ।	35.96	1994-95	30.01.2002	
कर्मचारी भविष्य निधि	भविष्य निधि अपना योगदान	46.38	जून 2015 से मार्च 2018 तक	जून 2015 से मार्च 2018 तक	अभी तक चुकाया नहीं
	भविष्य निधि स्वैच्छिक योगदान	26.53			
	भविष्य निधि कंपनी का योगदान	108.74			
	भविष्य निधि अग्रिम वसूलियां	49.96			

ख) हमारी राय में और लेखा परीक्षा के दौरान हमें दिए गए स्पष्टीकरण और जानकारी, के अनुसार,आयकर, संपत्ति कर विक्रय कर जी एस टी और केन्द्रीय शुल्क देय का कोई बकाया राशि नही है ,जो विवाद के कारण उचित अधिकारियों से जमा नही किया गया है ।

viii) वित्तीय संस्थानों / बैंकों / डिबेंचरों के देय राशि के संबंध में

हमारी राय में और लेखा परीक्षा के दौरान हमें दिए गए स्पष्टीकरण और जानकारी के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी वित्तीय संस्थानों, बैंक / सरकार या डिबेंचर धारकों के देय राशि के ऋण या उधार का पुनःभुगतान करने में असफल रही ।

विवरण	राशि (रु हज़ार में)	चूक की अवधि	टिप्पणी
भारतीय स्टेट बैंक	13,70,815	31.03.2020 को ब्याज सहित पूरी उत्कृष्टता अतिदेय है	अभी तक चुकाया नहीं
सिंडिकेट बैंक	1,04,703		
इंडियन ओवरसीज बैंक	2,39,464		
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	99,129		
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	2,01,177		
इंडियन बैंक	20,085		
कैनरा बैंक			
सि सि	35,892		
एल सि	28,036		
इंडियन बैंक	15,556		
सिटी बैंक	36,302		
बैंक से ब्रिज ऋण	7,69,657		
एसबीआई से डीपीजी ऋण	1,91,425		
अवधि ऋण			
कैनरा बैंक	8,648		
भारतीय स्टेट बैंक	1,08,972		
यूटीआई वित्त पोषित ब्याज	85,398	22 साल	अभी तक चुकाया नहीं
एचपीएफ बॉन्ड "ए" श्रृंखला	1,21,103	25 साल	अभी तक चुकाया नहीं

ix) हमारी राय में और लेखा परीक्षा के दौरान हमें दिए गए स्पष्टीकरण और जानकारी के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी आरंभिक सार्वजनिक या सार्वजनिक निर्गम (ऋण सहित)और अवधि ऋणके माध्यम से पैसे नहींजुटाएं जिस उद्देश्य के लिए आवेदन किया गया था ।

x) हमें दिए गए स्पष्टीकरणऔर जानकारी के अनुसार,वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या अपने अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर धोखाधड़ी देखायारिपोर्ट किए गए हैं।

xi) हमारी राय में और लेखा परीक्षा के दौरान हमें दिए गए स्पष्टीकरण और जानकारी के अनुसार, वर्ष के दौरान, कंपनी प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान या प्रदान नहीं किया है ।

xii) हमारी राय में और लेखा परीक्षा के दौरान हमें दिए गए स्पष्टीकरण और जानकारी के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 406 (1) के तहत परिभाषित किया गया है।

xiii) हमारी राय में और ऑडिट के दौरान हमें दी गई जानकारी और व्याख्या के अनुसार, संबंधित पक्षों के साथ कोई लेन-देन नहीं है और इसलिए हमारी राय में कंपनी अधिनियम, 2013 (" अधिनियम ") की धारा 177 और 188 के अनुपालन की कोई आवश्यकता नहीं है और लागू करने योग्य लेखांकन मानकों की वित्तीय विवरण में कोई प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है (बैलेंस शीट का हिस्सा बनाने वाले खातों के लिए महत्वपूर्ण नोटों का नोट 22 देखें)

xiv) हमारी राय में और लेखा परीक्षा के दौरान हमें दिए गए स्पष्टीकरण और जानकारी के अनुसार, आलोच्य वर्ष के दौरान, कंपनी किसी भी तरजीही आवंटन या शेयरों के प्राइवेट प्लेसमेंटया पूरी तरह या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर नहीं किया है।

xv) हमारी राय में और लेखा परीक्षा के दौरान हमें दिए गए स्पष्टीकरण और जानकारी के अनुसार, वर्ष के दौरान ,कंपनी के निदेशकों के साथ या उसके साथ जुड़े हुए व्यक्तियों से किसी भी गैर नकद लेनदेन में प्रवेश नहीं किया है।

xvi) हमारी राय में और लेखा परीक्षा के दौरान हमें दिए गए स्पष्टीकरण और जानकारी के अनुसार कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम 1934 के धारा 45-आई ए के तहत पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है।

कृते नरेश एंड को
सनदी लेखाकार
एफ आर एन 011239एस
एन रामलिंगम
सहयोगी
सदस्यता संख्या : 208992

स्थान : उटकमण्ड
दिनांक : 20.08.2020

हिंदुस्तान फोटो फिल्मों एमएफजी कंपनी लिमिटेड के उसी तारीख के वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखक की रिपोर्ट के लिए अनुबंध "ख"

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम")के धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट:

हम हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स कंपनी लिमिटेड के 31 मार्च 2020 के तारीख को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षा कंपनी की स्टैंडअलोन वित्तीय बयान की संयोजन के रूप में की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए कंपनी के प्रबंधन जिम्मेदार है जो वित्तीय रिपोर्टिंग के मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित, कंपनी द्वारा स्थापित मानदंडों आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा पर गाइडेंस नोट में कहा गया और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('आई सी ए आई') द्वारा जारी किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग में, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक रूप में, डिजाइन, कार्यान्वयन और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के रखरखाव जो अपने व्यापार के अर्दली और कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे,कंपनी की नीतियों के पालन सहित, संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों कीपता लगाने और निवारण, सटीकता और लेखा अभिलेखों की पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी और समय पर तैयारीइन जिम्मेदारियों में शामिल है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारे लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है ।हम लेखा परीक्षा का आयोजन वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर गाइडेंस नोट ("गाइडेंस नोट") और लेखा परीक्षा पर मानक, आई सी ए आई द्वारा जारी किए गए और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित किया , लेखा परीक्षा के लिए लागू हद आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अनुरूप किया है। उन मानकों और गाइडेंस नोट की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और लेखा परीक्षा का योजना और प्रदर्शनके बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करें और अगर वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित कर लिया है और इस तरह के नियंत्रण सभी सामग्री मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित है।

हमारे लेखा परीक्षामें वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनके परिचालन प्रभाव के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रदर्शन प्रक्रियाओं शामिल है। हमारी लेखा परीक्षामेंवित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करने, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ, जोखिम का आकलन कि सामग्री कमजोरी मौजूद है, परीक्षण और डिजाइन का मूल्यांकन, औरजोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के संचालन प्रभावशीलता का मूल्यांकन शामिल है।चुने गए प्रक्रियाओं, लेखा परीक्षक के फैसले पर निर्भर है , वित्तीय बयान की सामग्री के जोखिम का गलत मूल्यांकन सहित, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण है। हम मानते हैं कि लेखा परीक्षा साक्ष्यजो हम प्राप्त की है और हमारे लेखा परीक्षा की राय के आधार प्रदान करने के लिएवित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त और उचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आम तौर पर स्वीकार लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया एकप्रक्रिया है।वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के नीतियों और प्रक्रियाओं में शामिल हैं (1) उचित विस्तार से अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित, सही और निष्पक्ष रूप से कंपनी की संपत्ति का लेनदेन और फ़ौजी तरतीब को प्रतिबिंबित, (2) उचित आश्वासन प्रदानकि लेनदेन आम तौर पर स्वीकार

लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी की अनुमति के लिए आवश्यक के रूप में अभिलेखित हैं, और कंपनी कि प्राप्तियों और व्ययकेवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशक के प्राधिकरण के अनुसार किया जा रहा है और (3)रोकथाम के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने या अनधिकृत अधिग्रहण के समय का पता लगाने, उपयोग, या कंपनी की संपत्ति का तरतीब जो वित्तीय बयान पर सामग्री प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का स्वाभाविकहद

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के निहित सीमाओं के कारण, कपटसंधि की संभावना सहितया अनुचित प्रबंधन अधिरोहन के नियंत्रण, सामग्री का गलत विवरणत्रुटि के कारण, या धोखाधड़ी उत्पन्न हो और नहीं पता लगाया जा सकता । इसके अलावा, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण किसी भी मूल्यांकन के अनुमानों भविष्य समय के लिए जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की उपाधिखराब हो सकता है।

विपरीत राय

हमारी राय में और लेखा परीक्षा के दौरान हमें दिए गए स्पष्टीकरण और जानकारी के अनुसार निम्नलिखित सामग्री कमजोरियों 31 मार्च, 2020 को पहचाना गया है

1. आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन में देखी गई कमी:
   क. लेखांकन सिद्धांतों के चयन और आवेदन पर नियंत्रण और भारतीय लेखा मानक के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी में कमी ।
   ख. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली प्रचलित नहीं है।
2. आंतरिक नियंत्रण के संचालन में असफलता को देखा गया:
   लेखापरीक्षा समिति की आवश्यकता का पालन करने और स्टॉक एक्सचेंज के साथ दस्तावेजों को दाखिल करने में असफलता।

   'भौतिक कमजोरी' एक कमी है, या वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में कमी की एक संयोजन है जैसे कि कंपनी के वार्षिक या अंतरिम वित्तीय वक्तव्यों का भौतिक गलती समय के आधार पर रोका या पता नहीं लगाया जाएगा।

   हमारी राय में, नियंत्रण मानदंडों के उद्देश्यों की उपलब्धि पर ऊपर वर्णित सामग्री कमजोरी के प्रभावों के कारण, कंपनी ने 31 मार्च 2020 तक वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त और प्रभावी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण नहीं बनाए रखा है, भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित ।

   हमने 31 मार्च 2020 कंपनी के वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा में लागू लेखापरीक्षा परीक्षणों की प्रकृति, समय और सीमा निर्धारित करने में उपरोक्त पहचान की गई भौतिक कमजोरियों पर विचार किया है, और इन भौतिक कमजोरियों ने कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारी राय प्रभावित की है और हमने वित्तीय विवरणों पर प्रतिकूल राय जारी की है।

कृते नरेश एंड को
सनदी लेखाकार
एफ आर एन 011239एस
एन रामलिंगम
सहयोगी
सदस्यता संख्या : 208992

स्थान : उटकमण्ड
दिनांक : 20.08.2020

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए, हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफेक्चरिग कंपनी लिमिटेड के लेखों पर कंपनी अधिनियिम, 2013 की धारा 143(6) (ख) के अंतर्गत नियंत्रक व महा लेखा परीक्षक, भारत की टीका टिप्पणियॉ

31मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम 2013 के अनुपालन में निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग के अधीन वित्तीय विवरण तैयार करने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबन्ध मण्डल की है । अधिनियम, की धारा139(5) के अंतर्गत **भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143 के तहत इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है जो अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा पर आधारित है।** दिनांक 20.08.2020 के लेखा परीक्षक रिपोर्ट द्वारा उन्होंने स्पष्ट किया है कि वे ऐसा कर चुके हैं ।

मैंने 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए, नियंत्रक व भारत के महा लेखा परीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143(6) (क) के अधीन हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफेक्चरिग कंपनी की **वित्तीय बयान की अनपूरक लेखा परीक्षा का संचालन नहीं करने का फैसला किया है**।

कृते नियंत्रक व भारत के
महा लेखा परीक्षक की ओर से

स्थान : चेनै
दिनांक : 14.10.2020

(र. अम्बलवानान)
वाणिज्यक लेखा परीक्षा के **महा** निदेशक व
पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड